सेवा में

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
प्रिंसिपल बेंच नईदिल्ली

Application No. 552/2022

Ravi Tripathi **(Applicant)**

Versus

State of Madhya Pradesh ***(Respondent)***

माननीय

अधिकरण आपके आदेश के पालनार्थ गठित किए गये जांच दल द्वारा जांच हेतु मौका क्षेत्र में आने की सूचना आवेदक को मात्र 36 घंटे पूर्व दी गई, जिस दिन जांच दल को आना था उसी दिन उसी समय आवेदक का एयरगन सूटिंग का ट्रायल था जिसके लिए आवेदक ने जांच समय में उपस्थित रहने की सूचना मिलते ही माननीय अधिकरण और क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी महोदय को ईमेल द्वारा विधिवत तथ्य बताते हुए उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की थी। जांच के अंतिम समय में याचिकाकर्ता जांच दल के संपर्क में एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के शारदा ओसीएम में आया, रिपोर्ट में जिस फोटो को याचिकाकर्ता के साथ का बताया जा रहा है दरासल वह अंतिम का है जब मात्र 5 मिनट के लिए जांच टीम याचिकाकर्ता के संपर्क में आई थी, जांच टीम ने करीब 15 सेकेंड के लिए याचिकाकर्ता से बात भी की। इसलिए यह स्पष्ट है कि जो भी जांच हुई है उसमें याचिकाकर्ता की उपस्थित नाम मात्र की है, रिपोर्ट में दर्ज मामले और जांच प्रक्रिया से आवेदक को अनभिज्ञ रखा गया था। जिससे याचिकाकर्ता असंतुष्ट है।

1.

माननीय

जांच टीम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय के अन्य अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध लग रही है इन्होंने कॉलरी प्रबंधन के साथ मिल कर जांच के दौरान जांच दल के अन्य माननीय अधिकारियों के समक्ष गलत और स्वानोकूल तथ्य एवं वस्तुस्थिति प्रस्तुत किए है जिस संबंध में आगे के बिंदुओं में यह बात स्वत: स्पष्ट होते जाएगा...

2.

माननीय अधिकरण के समक्ष स्पष्ट करना चाहुंगा कि

जांच रिपोर्ट में ग्राम बेम्हौरी के जिस रानी तालाब में सिंघाड़ा की खेती होना बताया जा रहा है वहां वर्षाकाल में मात्र एकाध फिट जल का भराव हो पाता है वह भी किसी कोने में, वाकीं के मौसम मे बेम्हौरी के रानी तालाब में गांव के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं यानी तालाब पूरी तरह सूख चुका होता है और यह स्थिति करीब एक दशक से है जिसकी तस्दीक स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा जारी एक पत्र से होता है जो कि संलग्न है।

महोदय उक्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि जांच दल के साथ उपस्थित पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी एवं एसडीएम आदि यह भी नहीं जान पाएं कि ग्राम बेम्हौरी का रानी तालाब कौन सा है? जुनहा तालाब कौन सा है? किस तालाब मे सिंघाड़ा की खेती होती है और किस तालाब में सिर्फ बेसरम के झाड़ उगे हैं?

माननीय अधिकरण स्वत: अंदाजा लगाया जा सकता है कि जांच के दौरान बगैर स्थानीयता की जानकारी के मनगढ़ंत जांच करने और तथ्यों को छुपाने या मेनू प्लेट करने वाली स्थिति रही है, जो कि जांच रिपोर्ट में झलक रही है। पुनः कहना चाहुंगा कि यह जांच सिर्फ एक पक्षिय मालुम हो रहा है। रानी तालाब सहित कुछ अन्य तालाबों के फोटोग्राफ्स जीओ टैगिंग के साथ संलग्न किये जा रहे हैं।

3.

माननीय अधिकरण एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के धनपुरी और अमलाई ओसीएम में कंटीले तारों से फैंसिंग होने की जो बात कही जा रही है वह धनपुरी ओसीएम में मेरी उक्त शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में किए जाने के बाद जून 2022 के आसपास कराई गई।

जबकि अमलाई ओसीएम में माननीय अधिकरण द्वारा संगठित की गई जांच दल के मौका क्षेत्र के भ्रमण दिनांक के कुछ सप्ताह पूर्व ही कराई गई है।

साथ ही उक्त फैंसिंग के चोरी होने संबंधित थाने मे 13/10/2022 को जो शिकायत पत्र की प्रति जांच रिपोर्ट मे लगाई गई है वह भी कूटरचित तरीके से मात्र शिकायत और जांच दल के प्रश्नों से बचने के लिए है, जिसमें न हि विधिवत एफआईआर की गई और न ही बीते पूर्व में किए गए शिकायत या एफआईआर की काॅपी प्रस्तुत की गई।
और शिकायत पत्र की जो प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें मात्र 100 मीटर तार की चोरी होने की बात कही है जबकि फैंसिंग तो लगभग बेम्हौरी से हनुमान मंदिर और धनपुरी ओसीएम उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय होकर धनपुरी जाने वाले मार्ग पर जांच दल के आगमन के कुछ सप्ताह पहले तक करीब 4-5 किलोमीटर के क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं थी।

4.
महोदय जांच रिपोर्ट में जिस खनन क्षेत्र में विधिवत वृक्षारोपण की बात कही गई है वहां यह भी देखा जाए कि वन निगम और एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के संबंधित दस्तावेजों में कहां-कहां कौन से नस्लों के पौधे रोपे जाने थें?
क्योंकि जहां-जहां भी कथित वृक्षारोपण का राग प्रबंधन के सम्मानित अधिकारियों द्वारा अलापी जा रही है वहां अधिक से अधिक संख्या में यूकेलिप्टस और यूकेसिया के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। जबकि वृक्षारोपण के लिए फलदार, छायादार, शोभादार और औषधीय गुणों वाले पौधों के रोपड़ की बात कही गई है, लेकिन धरातल पर हुं-व-हूं लागू नहीं की गई।

5.
महोदय एक कोयला खनन कंपनी द्वारा जिन गल्तियों को जितना सुधारा जा सकता था उतना लीपापोती करने की पुरजोर कोशिश शिकायत, जांच आदेश और जांच प्रक्रिया शुरू होने के दरमियान की गई है, बीते 30 जुलाई को एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के अमलाई ओसीएम में प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर एक साथ एक ही स्थिति में 8 गौवंशों की संदेहास्पद मौत हो गई थी, जिसके वीडियो एवं जिओ टैगिंग सहित लोकेशन लोकेटेड फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं वहीं उक्त मौतों के कुछ सप्ताह बाद पुनः एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के शारदा ओसीएम में करीब आधा दर्जन गौवंश की संदेहास्पद मौत हो गई, जिस संबंध में याचिकाकर्ता रवि त्रिपाठी ने एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र एवं गृहमंत्रालय मध्यप्रदेश शासन से उक्त गौवंशों के संदेहास्पद मौत से संबंधित एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई जिसका गृहमंत्रालय मध्यप्रदेश शासन ने संबंधित पुलिस थाने को जानकारी देने संबंधी आदेश दिएं थें, साथ ही संबंधित धनपुरी पुलिस थाना के एएसआई श्री राजा भैया बागरी के आधीन यह जांच थी जिन्हें मेरे द्वारा मांगी गई आरटीआई का जबाव देना है जो कि अन्य-अन्य बहाने बनाकर जानकारी देने मे आना कानी कर रहे हैं, जिससे इस तरह की जन चर्चा पे यकीन हो रहा है कि एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के

अधिकारियों से मिली भगत कर के उस वक्त 8 गायों की मौत की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों/सिपाहियों ने एफआईआर नहीं लिखी थी। वहीं इस मामले मे एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिससे संदेह दिनोदिन पक्का होता जा रहा है। आरटीआई आवेदन आदि संबंधित सभी दस्तावेज इस पत्र (ई-मेल) के साथ संलग्न कर दिया गया है।

6.

एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के दामिनी भूमिगत कोयला खदान में बारूद परिवहन में नियमों को दरकिनार कर के मोटर साइकिल से चार्ज, बारूद आदि लाया-लेजाया जाता है, (जिसके फोटोग्राफ्स जो कि दिनांक 18/06/2022 को लिए गए हैं, इस ईमेल में संलग्न हैं) जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। जिस संबंध में संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और उपक्षेत्रीय प्रबंधक श्री विनय सिन्हा से इस संबंध में मौखिक चर्चा की गई थी लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

7.

माननीय जांच की बिंदुओं में आवेदक द्वारा एकत्रित कर के माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गईं जिओ टैगिंग और लोकेशन लोकेटेड फोटोग्राफ्स की भी जांच कर के बिंदुओं को संज्ञान में लिया जाए,

साथ ही इन बिंदुओं को भी संज्ञान में लिया जाए कि जांच दल के आने से पहले काॅलरी प्रबंधन के स्थानीय अधिकारियों ने व्यवस्था चाक-चौबंद कर के जैसे कि तय जांच दिनांक के 4-5 दिन पूर्व से जल छिड़काव शुरू करा दिया गया था, कोल यार्ड या कोल परिवहन वाले मार्गों में डस्ट के रोकथाम के लिए जल सिंचाई वाले जिन वाहनों की खरीदी की जानी बताई जा रही है दरअसल वें अक्सर खदानों में धूल खाते पड़े रहते हैं, मुख्यत: एसईसीएल के दामिनी भूमिगत कोयला खदान में। जिसकी फोटो मैं रिपोर्ट में सब्मिट कर रहा हुं जो कि दिनांक 20/12/2022 को ली गई है। साथ हि बंगवार से बेम्हौरी मार्ग में उड़ रहे डस्ट की जिओ टैगिंग वाले फोटो संलग्न कर रहा हुं।

8.

माननीय

काॅलरी प्रबंधन द्वारा जल छिड़काव वाले जो वाहन खरीदे गए हैं वो इस शिकायत प्रक्रिया के बाद ही खरीदें गए हैं, साथ ही वें वाहन अक्सर खड़े रहते हैं। काॅलरी प्रबंधन द्वारा कोल परिवहन के

लिए उपयोग किए जा रहे आम रास्ते पर उक्त जांच टीम के आगमन के दरमियान दिखावे के तौर पर खूब पानी उड़ेला गया था लेकिन जांच टीम के जाने के बाद आम जनता धूल खा रही है।

माननीय उक्त शिकायत और आपके द्वारा गठित जांच दल के निरीक्षण उपरांत एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के बंगवार भूमिगत कोयला खदान, खैरहा भूमिगत कोयला खदान में कोलयार्ड और कांटा क्रशर के आसपास स्टील सीट और ग्रीन मेट से फैंसिंग दीवार बनाई गई है लेकिन कोलयार्ड में जल छिड़काव में कोताही बरती जाती है।
साथ ही सोहागपुर क्षेत्र के ही दामिनी भूमिगत कोयला खदान के कोलयार्ड में किसी भी तरह की डस्ट रोधी फैंसिंग आज दिनांक तक नहीं बनाई गई है, जबकि दामिनी खदान से सटे कंदोहा आदि के ग्रामीण गांव में कोल डस्ट आने की शिकायत हमेशा करते रहे हैं।
साथ ही उक्त दामिनी भूमिगत कोयला खदान को वितरित जल सिंचाई मशीन वाहन संबंधित खान प्रबंधक एवं उपक्षेत्रीय प्रबंधक की गैरजिम्मेदारी से धूल खाती खड़ी रहती है जिसके फोटो जो कि दिनांक 20/12/2022 को लिए गए हैं, इस ईमेल के साथ संलग्न किया गया है।
साथ ही सड़कों में धूल डस्ट के कुछ ताजे फोटोग्राफ्स जीओ टैगिंग सहित इस पत्र के साथ में संलग्न किया गया है, आग्रह है कि आवेदक द्वारा संलग्न फोटो के सत्यता की जांच कर के साक्ष्यों के तौर पर उपयोग किया जाए।

9.

वहीं कोल प्रबंधन द्वारा उपयोग में ली जा रही आम सड़कों के संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि सड़के इतनी बुरी तरह से जर्जर हैं जल छिड़काव के बाद उन्हीं गड्ढों मे पानी का भराव हो जाता है जिससे सड़कों में हो चुके बड़े-बड़े गड्ढे दुर्घटना का पर्याय बने हुए हैं, यहां तक की आवागमन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

10.
माननीय अधिकरण से सविनम्र आग्रह है कि एक बार पुनः औचक निरीक्षण कराया जाए कॉलरी प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल के क्षेत्रीय अधिकारियों को इसकी कोई पूर्व सूचना न दी जाए, जांच दल जब क्षेत्र में आ जाए तब मात्र 45 मिनट या 1 घंटे का समय देकर जांच प्रक्रिया शुरू की जाए, जांच की प्रक्रिया यदि गुप्त और सटीक प्रक्रिया अपनाई जाए तो वह उतना ही ज्यादा कारगर रिपोर्ट तैयार हो पाएगा।

11.

साथ ही क्षेत्र के भूजल स्तर की जांच करने के लिए वर्षाकाल में जांच कर के रिपोर्ट तैयार करना रिपोर्ट को स्पष्ट नहीं बना पाएगा।

कोयला खदानों के आसपास बसे गांवों में भूजल स्तर का परीक्षण अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के प्रथम सप्ताह के मध्य जांच करके रिपोर्ट तैयार की जाए तो स्पष्ट जानकारी मालुम होगी क्योंकि बरसात के मौसम मे मेढ़ में खड़े होकर देखने में सूखे तालाबों में भी थोड़ी-बहुत पानी तो दिखाई देगा ही उसे पर्याप्त भूजल स्तर मानकर रिपोर्ट तैयार कर लेना कहां तक उचित रहेगा, जैसा कि उक्त जांच टीम के द्वारा अपने रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।

12.

महोदय शहडोल और अनूपपुर जिले के जुड़ाव सीमा में संचालित एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र की जिन कोयला खदानों कोयला समाप्त हो जाता है उनके लिए माइंस क्लोजर आदि के नाम से करोड़ों-करोड़ रुपए के फंड आते हैं, जिनका उपयोग नहीं किया जाता जिसके परिणामस्वरूप ही बीते 26-27 जनवरी 2023 की दरम्यानी रात एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र की कागजों में बंद हो चुकी धनपुरी भूमिगत कोयला खदान में जहरीली गैस से पहले दिन 4 और दूसरे दिन 3 यानी कुल 7 युवाओं की मौत हो गई थी जिसके साक्ष्य और समाचार लिंक भी अटैच किया गया है।

महोदय यदि नियम पूर्वक कोयला खनन के बाद उक्त धनपुरी भूमिगत कोयला खदान को पूरी तरह बंद कर दिया जाता तो न हि कबाड़ आदि के लालच में युवा वहां जाते और न हि कोई दुर्घटना होती।

13.

माननीय अधिकरण, क्षेत्रीय पीसीबी के आरओ आदि अधिकारियों का कहना है कि मेरी शिकायतें बेसिर पैर की हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है, इसपर मेरा सवाल है की जब यहां कोयला खदाने नियम से चल रही हैं तो यही खदानें आम जनता की और पशुओं और वन्यजीवों की लाशें क्यों उगल रही हैं?

माननीय इस मामले में शासन के इतने बड़े-बड़े संस्थानों आदि से मै अकेला दो-दो हांथ हो रहा हुं क्योंकि मेरे पास इनके द्वारा की गई गड़बड़ियों के संबंध में पुख्ता सबूत हैं और आपके न्यायप्रियता का विश्वास है।

मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा की

मेरी कोई छुपी या दबी मानसिकता नहीं है मैं सिर्फ यह जानता हुं की मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और तथ्यों को बारीकी से अध्ययन करते हुए मौके का औचक निरीक्षण करते हुए दोषीजनों पर उचित कार्रवाई करें जुर्माना लगाएं और यह सुनिश्चित करें कि जिम्मेदार संस्थान द्वारा की गई गड़बड़ियों को प्रमुखता के साथ जल्द से जल्द सुधार लें, पूरी लड़ाई ही समाप्त हो जाएगी।
मेरे विरुद्ध इतने बड़े-बडे अधिवक्ता हैं इतने बड़े-बड़े शासकीय संस्थान हैं, उनके बड़े-बड़े अधिकारी हैं और मैं अकेला इनसे बराबर ज़बाब-तलब कर पा रहा हुं क्योंकि मुझे भौतिक स्थितियों का पता है और सत्यप्रियता/न्यायप्रियता पर भरोसा है ।

14.

माननीय, अमलाई ओसीएम की जिस खदान में हरे-भरे पेड़ दबने के मामले हुए हैं वहां के संबंध में साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध हैं जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई थी लेकिन एक पत्र में किसी अज्ञात का हस्ताक्षर लेकर ये कह रहे हैं कि वह मेरा हस्ताक्षर हैं जबकि कॉलरी प्रबंधन और क्षेत्रीय पीसीबी के आरओ स्वयं अपने किसी अन्य दस्तावेजों से मेरे हस्ताक्षर मिलान कर देखें कि मैं हिन्दी से हस्ताक्षर करता हुं न कि अंग्रेजी से, किसी के अंग्रेजी अक्षरों में 'रवि' लिख देने से वह मेरा हस्ताक्षर कैसे हो सकता है?
जबकि शिकायत यानी पेड़ दबने के फोटो (साक्ष्य) मेरे पास उपलब्ध हैं और मैंने अपनी शिकायतों में उसे संलग्न भी किया है जिसे मैं भी नहीं झुठला सकता। इसलिए उक्त संबंध में प्रस्तुत किए गए कथित पंचनामा और उसमें बताए गए कथित मेरे हस्ताक्षर की जांच की जाए जिससे स्वत: ही कागज़ के फर्जी होने की बात स्पष्ट हो जिएगी।

15.

माननीय
पीडीएफ फाइल के अंतिम पन्नों में शहडोल मप्र. के क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय के कार्यक्षेत्र अंतर्गत कोयला खदानों द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु तंत्र को क्या नुकसान पहुंचाया गया इसकी विस्तृत जानकारी और साक्ष्य आवेदक द्वारा संलग्न किए गये साथ हि उक्त क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत के ही अमलाई स्थित ओरियंट पेपर मील की लापरवाही/अनियम पूर्वक कार्यशैली से आसपास के रिहायशी इलाकों में वायु प्रदूषण भयावह स्थिति में है जिसके संबंध मे, संबंधित पार्षद ने अनूपपुर कलेक्टर को बीते दिनों लिखित और फोटो/वीडियो साक्ष्य सहित शिकायत भी की थी जिसकी प्रतियां संलग्न कर के आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
माननीय बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि

इस तरह की लापरवाहियों के बाद क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री संजीव मेहरा जी की शिकायत की जाती है तो वें कहते हैं कि शिकायत झूठी और द्वेष पूर्ण है। उक्त क्षेत्र के साथ-साथ पूरे कोयलांचल में प्रदूषण व्याप्त रहता है, जिसके फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध है लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दस्तावेजों में दिखाई नहीं देता या दर्ज नहीं किया जाता यह निष्पक्ष जांच का विषय है।

माननीय आवेदक की तरफ से जबाव में देरी इसलिए हुई की उक्त कोयला खनन क्षेत्रों मे लापरवाही पूर्ण रवैय्ये से कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं जिसके लिए आवेदक ने सोचा की शायद कुछ और हादसे हो जाएं इसके बाद इकट्ठा सभी हादसों का जिक्र करते हुए जबाव लिखूंगा, जिसके बाद उक्त खनन क्षेत्र में धनपुरी भूमिगत कोयला खदान वाला हादसा हुआ (जिसमें सात मौतें हुई) जो कि सबसे ताजा मामला है।

माननीय अधिकरण से
करबद्ध आग्रह है कि आवेदक द्वारा संलग्न सभी फोटोग्राफ्स जो कि जिओ टैगिंग और लोकेटेड फोटोग्राफ्स हैं सभी के सत्यता की जांच कर के साक्ष्यों के तौर पर उपयोग किया जाए। साथ ही आवेदक ने पीडीएफ फाइल के साथ न्यूज पेपर की जितनी भी कटिंग्स संलग्न की हैं वह मात्र मामले की गंभीरता को माननीय अधिकरण के समक्ष स्पष्ट करने के लिए है।

माननीय मै अपने पक्ष/कथन को मशहूर 'जनकवि अदम गोंडवी' की दो पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा।

"इनकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है
मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है.

संलग्न:- संबंधित मामले में मौके से जुटाए गए नये तथ्य/सबूत पीडीएफ फाइल के तौर पर संलग्न हैं।

आपका विश्वासी
रवि त्रिपाठी
9301036761
ravitripathi539@gmail.com

शहडोल वृत्त के अनूपपुर और शहडोल के जुड़ाव सीमा में संचालित एसईसीएल की कोयला खदानों के मनमाने और अनियम पूर्वक संचालन से कोयला खदानों से सटे वन परिक्षेत्रों मे वनभूमि, वन संपदा एवं वन्यजीवों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के संबंध में शिकायत पत्र।

6 messages

Ravi Tripathi <ravitripathi539@gmail.com> Fri, 3 Feb, 2023 at 5:31 pm
To: acsforest@mp.gov.in, pccfmp@mp.gov.in, apccfgaz@mp.gov.in, pccfwl@mp.gov.in, apccfdev@mp.gov.in, apccfvig@mp.gov.in, ccf.sdl@mp.gov.in, dfonshahd@mp.gov.in, dfosshahd@mp.gov.in, dfotanppur@mp.gov.in, apccfit@mp.gov.in, sdm_sohagpur@yahoo.in, Collectorate, Shahdol <dmshahdol@mp.nic.in>, RotBurhar@mp.gov.in
Cc: epcoccc@gmail.com, skmcc.epco@mpsdc.gov.in, sahnk@cag.gov.in, m.yadav@gov.in, cm@mp.nic.in, secyhomep@mp.gov.in

महोदय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश शासन
भोपाल मध्यप्रदेश

विषय:- **शहडोल वृत्त के अनूपपुर और शहडोल के जुड़ाव सीमा में संचालित एसईसीएल की कोयला खदानों के मनमाने और अनियम पूर्वक संचालन से कोयला खदानों से सटे वन परिक्षेत्रों मे वनभूमि, वन संपदा एवं वन्यजीवों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के संबंध में शिकायत पत्र।**

मान्यवर

1.
मध्यप्रदेश के शहडोल वन वृत अंतर्गत शहडोल और अनूपपुर वन मण्डल के जुड़ाव सीमा में संचालित एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र की अमलाई, धनपुरी, बंगवार, खैरहा, दामिनी आदि कोयला खदानों के संचालन में खदानों से सटे वन परिक्षेत्र, सघन वन क्षेत्रों के साथ-साथ हिरण, खरगोश, मोर, बंदर, जंगली सुअर आदि जैसे वन्य प्राणियों को भारी छति पहुंच रही है।

2.
शहडोल वन मण्डल के बुढ़ार वन परिक्षेत्र के बंगवार बीट के सघन जंगल के नीचे एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र की बंगवार भूमिगत खदान संचालित है महोदय बंगवार भूमिगत खदान के संचालन में पर्यावरण एवं जलवायु संबंधित नियमों का पालन नहीं किया जाता जिससे उक्त पूरे जंगल में जगह-जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसकी कुछ भयावह छायाचित्र में इस ईमेल के साथ संलग्न कर रहा हुं, महोदय उक्त बंगवार के जंगलों में हिरण, खरगोश, मोर, बंदर, जंगली सुअर जैसे वन्य प्राणी अधिक संख्या में हैं, बीते 8 जनवरी 2023 की रात ही बंगवार भूमिगत खदान से सटे एक मुख्य सड़क में एक हिरण वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई।

3.
महोदय एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के कई पुराने कोयला खदानों को जो कि वन परिक्षेत्र की भूमि में आते हैं उन्हें कोयला खनन के बाद बीहड़ जैसी भूसंरचनाओं की तरह बना के छोड़ दिया गया है जोकि मवेशियों और वन्यजीवों के लिए दुर्घटना का कारण बनती है,
यदि खान मंत्रालय की दिशानिर्देश के अनुसार माइंस क्लोजर फंड आदि का उपयोग कर के उन सभी गहरी खाई नुमा खदानों को कम गहरा बना के उनमें बोटिंग आदि शुरु करवा के ईको पर्यटन आदि की व्यवस्था कराई जा सकती हैं जोकि छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में कुछ कोयला खदानों में किया गया है।

4.
एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत धनपुरी भूमिगत कोयला खदान जो की बीते करीब 6-7 वर्ष पहले कोयला समाप्त होने की स्थिति में बंद करा दी गई थी, लेकिन उक्त धनपुरी भूमिगत खदान को बंद करते समय माइंस क्लोजर के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है जिससे उक्त खदान के ऊपरी सतह पर गोफ आदि का खतरा रहता है, साथ ही आए दिन कबाड़ या कोयला चोरी के लालच में चोरी की नीयत से लोग जाते हैं और जहरीली गैस आदि का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं, महोदय उक्त धनपुरी भूमिगत कोयला खदान में कबाड़ चोरी की नीयत से गये 7 युवकों की मौत खदान के अंदर 26 जनवरी 2023 की रात जहरीली गैस की चपेट में आने से हो गई थी, श्रीमान उक्त घटना से यह भी सिद्ध होता है कि कोयला खनन और माइंस क्लोजर आदि के नियमों को दरकिनार करने से किस-किस स्तर के खतरे यहां के जनसामान्य को हो रही है और भविष्य में हो सकती है। इस हेतु आग्रह है कि सोहागपुर क्षेत्र के सभी बंद हो चुकी भूमिगत एवं खुली कोयला खदानों का निरीक्षण भी किया जाए, और उन्हें नियम पूर्वक क्लोज कराया जाए, न कि लापरवाही पूर्वक मनमाने ढंग से।

5.

महोदय यहां के शहडोल वन वृत्त के एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के खदानों के आसपास संचालित सभी कोयला खदानों से सटे सभी मुख्य मार्गों में वन जीव संरक्षण और वन्य जीवों के साथ वाहन दुर्घटना आदि से बचाव संबंधित साइन बोर्ड आदि लगवाए जाएं क्योंकि ऐसे करीब आधा दर्जन मामले इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष सामने आते हैं जिसमें वन्य प्राणी वाहन दुर्घटना का शिकार होकर अपने प्राण गंवा दैते हैं, जोकि वन विभाग के दस्तावेजों में दर्ज भी हैं, जिनमें से अधिकांश हिरण या बारहसिंगा या खरगोश होते हैं।

6.
महोदय उक्त वृत्त अंतर्गत संचालित एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र की पुरानी खदानों को कोयला खनन के बाद समतलीकरण नहीं के बराबर किया गया है, जिन खदानों में समतलीकरण किया गया है उनमे समतलीकरण के नियमों आदि का ध्यान नहीं रखा गया है, जैसे कि समतलीकरण के दौरान उसी गुणवत्ता की मिट्टी ऊपरी परत में रहनी चाहिए जो खनन शुरू करने के पहले रही हो। इस तरह की तमाम गड़बड़ियों की जाती है, इसलिए वृक्षारोपण के पश्चात यूकेलिप्टस के अलावा कोई भी फलदार, छायांदार और शोभादार पौधे सर्वाइव नहीं कर पातें।

7.
महोदय क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल के आर. ओ. श्री संजीव कुमार मेहरा के संबंध में बताना चाहूंगा कि ये बीते तीन वर्ष कसे अधिक समय से शहडोल में पदस्थ हैं, यहां कोयला खदानों द्वारा की जा रही किसी भी गड़बड़ी की शिकायत पर इनकी कार्यशैली निष्पक्ष मालुम नहीं होती, यह सरकार के कम एसईसीएल के कर्मचारी ज्यादा लगते हैं, बीते 26 जनवरी 2023 की रात एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र धनपुरी भूमिगत खदान में हुई घटना की जांच टीम में होते हुए इनपर हमेशा की तरह पुनः जांच रिपोर्ट में मात्र एसईसीएल के गुणगान और लीपापोती के आरोप लग रहे हैं, जबकि नियमों का पालन किया जाता तो बंद पड़ी खदान में कोई घुस ही नहीं पाता।
इस संबंध में आग्रह है कि क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल के आर.ओ. श्री संजीव मेहरा जी का स्थानांतरण जबतक शहडोल से दूर किसी जिले या अन्य राज्य में नहीं होता तबतक आप सभी वरिष्ठ अधिकारियों को नज़र बनाए रखनी होगी।

अस्तु श्री मान जी से सविनय निवेदन है कि मेरे द्वारा आग्रह की गई उक्त सभी बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए हमारे क्षेत्र के पर्यावरण एवं जलवायु तंत्र को नष्ट होने से बचा लीजिए।

आपका विश्वासी
रवि त्रिपाठी
9301036761
ravitripathi539@gmail.com

'ईमेल प्रतिलिपि'
1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ।
2. मुख्य सचिव, पर्यावरण मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
3. मुख्य सचिव, गृहमंत्रालय मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।

4. जिलाधीश शहडोल मध्यप्रदेश ।
5. एसडीएम सोहागपुर, शहडोल मध्यप्रदेश ।
6. वन मण्डल अधिकारी शहडोल मध्यप्रदेश ।

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> Fri, 3 Feb, 2023 at 5:32 pm
To: ravitripathi539@gmail.com

Error Icon

Message too large

Your message couldn't be delivered to **skmcc.epco@mpsdc.gov.in** because it exceeds the size limit. Try reducing the message size and resending.

The response from the remote server was:

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> Fri, 3 Feb, 2023 at 5:35 pm
To: ravitripathi539@gmail.com

Address not found

Your message wasn't delivered to **dfosshahd@mp.gov.in** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

The response from the remote server was:

```
550 #5.1.0 Address rejected.
```

---------- Forwarded message ---------
From: Ravi Tripathi <ravitripathi539@gmail.com>
To: acsforest@mp.gov.in, pccfmp@mp.gov.in, apccfgaz@mp.gov.in, pccfwl@mp.gov.in, apccfdev@mp.gov.in, apccfvig@mp.gov.in, ccf.sdl@mp.gov.in, dfonshahd@mp.gov.in, dfosshahd@mp.gov.in, dfotanppur@mp.gov.in, apccfit@mp.gov.in, sdm_sohagpur@yahoo.in, "Collectorate, Shahdol" <dmshahdol@mp.nic.in>, RotBurhar@mp.gov.in
Cc: epcoccc@gmail.com, skmcc.epco@mpsdc.gov.in, sahnk@cag.gov.in, m.yadav@gov.in, cm@mp.nic.in, secyhomep@mp.gov.in
Bcc:
Date: Fri, 3 Feb 2023 17:31:47 +0530
Subject: शहडोल वृत्त के अनूपपुर और शहडोल के जुड़ाव सीमा में संचालित एसईसीएल की कोयला खदानों के मनमाने और अनियम पूर्वक संचालन से कोयला खदानों से सटे वन परिक्षेत्रों मे वनभूमि, वन संपदा एवं वन्यजीवों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के संबंध में शिकायत पत्र।
----- Message truncated -----

Chief Minister Madhya Pradesh <cm@mp.gov.in> Tue, 7 Feb, 2023 at 3:02 pm
To: ravitripathi539@gmail.com

आपका ई-मेल दिनांक 07/02/2023 नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु वन विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। तत्संबंध में आगामी कार्यवाही की जानकारी हेतु कृपया संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी से संपर्क करें।

सधन्यवाद

मुख्यमंत्री कार्यालय
वल्लभ भवन-II, पंचम तल मंत्रालय
भोपाल

From: ravitripathi539@gmail.com
To: "Additional Chief Secretary Forest" <acsforest@mp.gov.in>, "PCCF MP PCCF MP P C C F M P" <pccfmp@mp.gov.in>, "APCCF Admin Gaz Madhya Pradesh" <apccfgaz@mp.gov.in>, "PCCF Wild Life HO Bhopal" <pccfwl@mp.gov.in>, "APCCF DEVELOPMENT BHOPAL" <apccfdev@mp.gov.in>, "APCCF Vigilance and Complaints" <apccfvig@mp.gov.in>, "CCF Shahdol" <ccf.sdl@mp.gov.in>, dfonshahd@mp.gov.in, dfosshahd@mp.gov.in, "dfotanppur-mp" <dfotanppur@mp.gov.in>, "APCCF IT HQ Bhopal" <apccfit@mp.gov.in>, "sdm sohagpur" <sdm_sohagpur@yahoo.in>, "Mrs Vandana Vaidya"

<dmshahdol@mp.nic.in>, "RO T Burhar" <RotBurhar@mp.gov.in>
Cc: epcoccc@gmail.com, "skmcc epco" <skmcc.epco@mpsdc.gov.in>, "Neelesh Kumar Sah" <sahnk@cag.gov.in>, "Mahendra Yadav" <m.yadav@gov.in>, "Chief Minister Madhya Pradesh" <cm@mp.nic.in>, "Home Secretary" <secyhomep@mp.gov.in>
Sent: Friday, February 3, 2023 5:31:47 PM
Subject: शहडोल वृत्त के अनूपपुर और शहडोल के जुड़ाव सीमा में संचालित एसईसीएल की कोयला खदानों के मनमाने और अनियम पूर्वक संचालन से कोयला खदानों से सटे वन परिक्षेत्रों मे वनभूमि, वन संपदा एवं वन्यजीवों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के संबंध में शिकायत पत्र।
[Quoted text hidden]

Ravi Tripathi <ravitripathi539@gmail.com> Thu, 16 Feb, 2023 at 11:35 am
To: acsforest@mp.gov.in, pccfmp@mp.gov.in, pccfwl@mp.gov.in, ccf.sdl@mp.gov.in, sdm_sohagpur@yahoo.in, Collectorate, Shahdol <dmshahdol@mp.nic.in>, RotBurhar@mp.gov.in

महोदय

मेरे द्वारा की गई उक्त शिकायत पर आज दिनांक तक वन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई, जबकि मान. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी उक्त ईमेल को संबंधित विभाग को फारवर्ड किया गया।

महोदय सविनय आग्रह है कि मेरे द्वारा किए गए उक्त शिकायत और उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की जल्द से जल्द विधिवत जांच करते हुए दोषीजनों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी
रवि त्रिपाठी
मो.नं. 9301036761
ravitripathi539@gmail.com
[Quoted text hidden]

Latitude: 23.163353
Longitude: 81.547189
Elevation: 489.54±5 m
Accuracy: 3.1 m
Time: 29-12-2022 10:28
Note: Bangwar forest RF
Powered by NoteCam

पंजिकृत डाक द्वारा

भारत सरकार / GOVT. OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय / MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
खान सुरक्षा महानिदेशालय / DIRECTORATE-GENERAL OF MINES SAFETY
जबलपुर क्षेत्र / JABALPUR REGION
जबलपुर / JABALPUR

प्लाट न. 1936 से 1949, जे. डी. ए. स्कीम न. 5,
जॉय हायर सेकेन्डरी स्कूल के पिछे,
विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.)
Telephone: Office – 0761-2640365
Fax – 0761-2640365

संख्याः ज.क्षे. / शिकायत-02 / 2022 / 44 / जबलपुर, दिनांक 27/01/2023

प्रेषक:

खान सुरक्षा निदेशक
जबलपुर क्षेत्र।

सेवामें

Ravi Tripathy,
Village-Garfandiya, Po-Bemhori,
Tehsil-Burhar, District-Shahdol
Madhya Pradesh, 484110

विषय: Operation of all underground and opencast mines located in Sohagpur Area of Shahdol, Madhya Pradesh by Subsidiary company of Coal India against the rules and environmental crisis in the area.-regarding

महोदय,

Please refer to your complaint lodged on Public Grievance vide No. MOEAF/E/2022/00347 dated 25.02.2022 enclosing therewith a copy of your unsigned letter and photographs in eight pages, addressed to Honourable Prime Minister of India which was received in this Directorate on 27.04.2022 to enquire into the matter on the above subject.

The issues mentioned in complaint letter and those come under the purview of the Mines Act, 1952 were enquired by the officer of this Directorate.

During enquiry it was found that,

Bangwar UG Mine had obtained permission under Regulation 112(1) of the CMR, 2017 from this Directorate for extraction of pillars by caving method wherein the roofs are allowed to cave in after extraction of pillar/coal and there was no provision to fill the goaved out area by mud or sand after its extraction. It was widely practiced method of mining in the country.

Subsidence and cracks which had occurred on the surface land over the pillars under extraction were filled up with mud. Provision of mud was also found made in the place for next course of filling. The surface land belonged to the forest department. Management had obtained forest clearance from Forest department for underground mining beneath the forest land.

Latitude: 23.164054
Longitude: 81.546788
Elevation: 489.49±8 m
Accuracy: 6.3 m
Time: 29-12-2022 10:24
Note: Bangwar forest RF
Powered by NoteCam

Latitude: 23.163826
Longitude: 81.546697
Elevation: 489.84±4 m
Accuracy: 3.1 m
Time: 29-12-2022 10:22
Note: Bangwar forest RF
Powered by NoteCam

Latitude: 23.158326
Longitude: 81.532721
Elevation: 511.52±14 m
Accuracy: 5.4 m
Time: 29-12-2022 10:05
Note: Bangwar forest RF
Powered by NoteCam

Latitude: 23.158157
Longitude: 81.532305
Elevation: 512.31±22 m
Accuracy: 10.7 m
Time: 29-12-2022 10:04
Note: Bangwar forest RF
Powered by NoteCam

Latitude: 23.158238
Longitude: 81.53106
Elevation: 511.81±65 m
Accuracy: 10.8 m
Time: 29-12-2022 09:59
Note: Bangwar forest RF
Powered by NoteCam

Latitude: 23.157709
Longitude: 81.532177
Elevation: 505.21±31 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 29-12-2022 09:54
Note: Bangwar forest RF
Powered by NoteCam

SECL सोहागपुर क्षेत्र की अमलाई सहित कुछ अन्य कोयला खदानों में मवेशियों की संदेहास्पद मौत हुई थी और अक्सर होती है जिस संबंध में मध्यप्रदेश गृह मंत्रालय और संबंधित थाने से एफआईआर और पोस्टमार्टम की कॉपी मांगी गई लेकिन आज दिनांक तक उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सकें। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र से भी उक्त दस्तावेज की प्रतियां मांगी गई थी जिसपर उन्होंने जबाव दिया कि उनके पास इस संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

वहीं इस संबंध में घटना स्थल की जिओ टैगिंग लोकेटेड फोटोग्राफ्स संलग्न हैं।

02/08/2022

एसईसीएल अमलाई ओसीएम कांटा घर के पास मृत मिले 8 मवेशी

भास्कर न्यूज | शहडोल

थाना धनपुरी क्षेत्रांतर्गत अमलाई ओपेन कास्ट (ओसीएम) के कांटा घर के आसपास 8 मवेशियों के एक साथ मृत अवस्था मिलने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पशु प्रेमी व गौ रक्षकों ने मवेशियों की मौत का जिम्मेदार एसईसीएल को ठहराते हुए ओसीएम के सामने हंगामा किया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। अमलाई ओसीएम कांटा घर के पास झाड़ियों के बीच मृत पड़े मवेशियों को रविवार की सुबह देखा गया। मृत मवेशियों में दुधारू गाय व बैल शामिल है। मामले की जानकारी लगते ही कामधेनु गौ सेवक एवं बजरंग दल के पदाधिकारी व सदस्य पहुंच गए। इनका आरोप था कि एसईसीएल

प्रबंधन की लापरवाही के चलते ऐसा हादसा हुआ है। क्योंकि जहां पर मवेशी मृत हुए हैं वहां से कुछ ही दूर पर ब्लास्टिंग एरिया है। आशंका है कि चारा के साथ मवेशियों ने बारूद या जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया हो। इसको लेकर लेकर विरोध किया और एसईसीएल के मुख्य गेट को बंद करा दिया। जिससे कुछ देर के लिए कोयला उत्पादन प्रभावित रहा। मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते रहे। कार्रवाई को लेकर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई।घटनाक्रम की जानकारी पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। एसडीओपी, थाना प्रभारी के अलावा कालरी के सब एरिया भी पहुंचे। लोगों को समझाइश दी। वहीं मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया गया। पशु चिकित्सक डॉ. विनीत केसरी के अनुसार प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण जहरीला पदार्थ का सेवन हो सकता है। बिसरा रिपोर्ट आने के बाद वास्तविक कारण पता चल पाएगा। वहीं धनपुरी टीआई नरबद सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

अमलाई ओसीएम मे 8 गौवंश की संदेहास्पद मौत

बंगवार निप्र। एसईसी एल सोहागपुर क्षेत्रअंतर्गत अमलाई ओ सी एम के प्रतिबंधित क्षेत्र कांटा घर के पीछे में रविवार 31 जुलाई को आठ गौवंश की तड़प-तड़प के मौत हो गई, मौके पर संबंधित कॉल री प्रबंधन के लोग,धनपुरी थाना प्रभारी ,पशु चिकित्सा विभाग के चिकि त्सा अधिकारी आदि मौजूद थें, उक्त घटना में मवेशियों के मौत का कारण जहरीले पदार्थों का सेवन बताया जा रहा है।

मौके पर उपस्थित गौरक्षक और बजरंग दल के लोगों ने कॉलरी प्रबंधन पर एफआईआर की मांग की है। एवं प्रबन्धन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जिससे कुछ घंटों तक कॉलरी का काम भी प्रभावित हुआ।

बीते रविवार 8 गौवंश के मौत के ही मामले को लें तो खदान परिसर में चर्चा थी कि उक्त सभी गौवंश की मौत खनन क्षेत्र में हुई होगी लेकिन अपने सिर से बला टालने के लिए सभी मवेशियों की

लाश किसी बड़े वाहन के लाकर गेट के पास कांटा घर के पीछे फेंक दिया गया होगा? मौत का कुछ तो कारण है, और जहां तक यह दुर्घटना नहीं है यह तो लापरवाही ही है, आशंका है कि प्रबंधन की ग़लती रही है, लेकिन वह गलती क्या हो सकती है, यह अभी साफ नहीं हो पा रहा है।

इनका कहना है

पोस्टमॉर्टम के लिए सेम्पल को लैब भेज दिया गया है, रिपोर्ट आने तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन मवेशियों की लाश जिस कंडीशन में थी उसमें जहरीले पदार्थों का सेवन कर लेना का मामला ही लग रहा है।

डॉ. विनीत केशरी

(वेटरनरी डॉक्टर)

हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का अभियान- मुख्यमंत्री*

01-08-2022 दैनिक समय शहडोल

Latitude: 23.166445
Longitude: 81.566185
Elevation: 504.16±10 m
Accuracy: 1.9 m
Time: 31-07-2022 13:12
Note: amlai ocm secl
Powered by NoteCam

Latitude: 23.166282
Longitude: 81.566433
Elevation: 496.06±13 m
Accuracy: 3.6 m
Time: 31-07-2022 13:16
Powered by NoteCam

Latitude: 23.166367
Longitude: 81.566274
Elevation: 491.86±59 m
Accuracy: 5.9 m
Time: 31-07-2022 13:10
Note: amlai ocm secl
Powered by NoteCam

अमलाई ocm मे आज फिर एक नंदी बैल पॉइजन का शिकार हुए

धनपुरी थाना मे FIR कराया गया और कड़ी से कड़ी कार्यवाही कि माँग कि गई

अमलाई OCM कि 4थी लापरवाही

आज दिनांक 14.07.2022 अमलाई ocm मे आज फिर एक नंदी बैल पॉइजन का हुए शिकार
धनपुरी थाना मे FIR कराया गया और कड़ी से कड़ी कार्यवाही कि माँग कि गई

आखिर कब तक ऐसी गौ वंशो कि मौत होती रहेगी धनपुरी हर चीज़ मे आगे है आप सभी धनपुरी नगर वाशियो से निवेदन है जो आपके श्रेत्र मे गौ सेवा संस्थान आज 3 वर्षों से गौ माता का जीवन बचाने का कार्य आप सभी के सहयोग से कर रही है इतनी बढ़ी घटना हो रही लगता है हम धनपुरी वाशियो को बिलकुल भी बरदास नहीं करना चहिए आप सभी लोग इन गाउ माता और नंदी बैल को न्याय दिलाने मे सहयोग करें

TATA HITACHI

151

Online RTI Request Form Details

RTI Request Details :-

RTI Request Registration number	SECFL/R/E/22/00530
Public Authority	South Eastern Coalfields Ltd.

Personal Details of RTI Applicant:-

Name	रवि त्रिपाठी
Gender	Male
Address	ग्राम गरफंदिया , पोस्ट बेम्हौरी , जिला शहडोल
Country	India
State	Madhya Pradesh
Status	Rural
Educational Status	Literate
	Above Graduate
Phone Number	+91-9301036761
Mobile Number	+91-9301036761
Email-ID	ravitripathi539[at]gmail[dot]com

Request Details :-

Citizenship	Indian
Is the Requester Below Poverty Line ?	No

(Description of Information sought (upto 500 characters)

Description of Information Sought
महोदय एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत अमलाई ओसीएम, धनपुरी ओसीएम और शारदा ओसीएम सहित सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत के विभिन्न कोयला खदानों के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर या आसपास, सत्र 2019 से लेकर सितंबर 2022 तक कुल कितने गाय-बैल/भैंस-भैंसा की अन्य-अन्य कारणों से मृत्यु या हत्या हुई है? महोदय उक्त अन्य-अन्य कारणों से मृत हुए सभी गाय-बैल/भैंस-भैंसा से संबंधित -मौका पंचनामा की प्रमाणित छायाप्रति, - मृत पशुओं के शवदाह/शवदफन पंचनामा की प्रमाणित छायाप्रति, -फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट्स की प्रमाणित छायाप्रति, -पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं महोदय उक्त आरटीआई आवेदन यदि आपके विभाग या कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) को संज्ञान मे लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अंदर हस्तान्तरित करें,

साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें

आपका

रवि त्रिपाठी

Concerned CPIO	Praddep Janardhan Bedarkar Sohagpur
Supporting document ***(only pdf upto 1 MB)***	Supporting document not provided

Print **Close**

Online RTI Appeal Form Details

RTI Appeal Details :-

RTI Appeal Registration number	SECFL/A/E/22/00142
Public Authority	South Eastern Coalfields Ltd.

Personal Details of Appellant:-

Request Registration Number	SECFL/R/E/22/00530
Request Registration Date	27/09/2022
Name	रवि त्रिपाठी
Gender	Male
Address	ग्राम गरफंदिया , पोस्ट बेम्हौरी, जिला शहडोल
Country	India
State	Madhya Pradesh
Status	Rural
Educational Status	Literate
	Above Graduate
Phone Number	+91-9301036761
Mobile Number	+91-9301036761
Email-ID	ravitripathi539[at]gmail[dot]com

Appeal Details :-

Citizenship	Indian
Is the Requester Below Poverty Line ?	No
Ground For Appeal	Provided Incomplete,Misleading or False Information
CPIO of Public Authority approached	Praddep Janardhan Bedarkar Sohagpur
CPIO's Order/Decision Number	Details not provided
CPIO's Order/Decision Date	

(Description of Information sought (upto 500 characters)

Prayer or Relief Sought
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपीलीय आवेदन सेवा में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी महोदय एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र विषय आरटीआई आवेदन का उत्तर आधा-अधूरा और अव्यवस्थित, अपठनीय के साथ-साथ दिशाहीन उत्तर दिए जाने पर प्रथम अपीलीय प्रक्रिया हेतु आवेदन

अपील विरुद्ध- लोक सूचना अधिकारी एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र पोस्ट धनपुरी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश

अपीलार्थी- रवि त्रिपाठी
ग्राम गरफंदिया, पोस्ट बेम्हौरी जिला शहडोल म.प्र.

आवेदक- रवि त्रिपाठी

मान्यवर

1
मेरे द्वारा उक्त कार्यालय में प्रस्तुत आरटीआई आवेदन का उत्तर आज दिनांक तक विधिवत और पूर्ण रुप से नहीं मिल पाया है, कई मर्तबा कॉल करने के बाद दो-चार पन्ने की एक अपूर्ण जानकारी भेजी गई है उसके भी अधिकांश पन्ने विज़ुअल नहीं हैं, यानी गंदी प्रिंट होने के कारण पठनीय नहीं हैं

2
महोदय उक्त आरटीआई आवेदन से प्राप्त जानकारी का उपयोग, माननीय एनजीटी के समझ मैं अपनी एक जनहित याचिका की सुनवाई के लिए करना चाह रहा हुं, जिससे मामला स्पष्ट हो, और मामले मे माननीय एनजीटी की सुनवाई और फैसले हमेशा की तरह स्पष्ट हो सके

3
महोदय उक्त आवेदन से सोहागपुर क्षेत्र के कोयला खनन क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों मे पर्यावरण, जलवायु तंत्र और जैव विविधता को लेकर की गई और की जा रही एक बड़ी गड़बड़ी का मामला उजागर होने को है जिसके संबंधित मौका ए वारदात के जीपीएस लोकेटेड कई फोटोग्राफ्स और वीडियो उपलब्ध हैं, जिस संबंध में मै दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रतियां भी चाहता हुं जिसपर संबंधित सूचना अधिकारी और उनके अधीनस्थ संबंधित कोयला खदानों के अधिकारी हीलाहवाली कर रहे हैं
महोदय सूचाना संबंधित दस्तावेज देने में अभी तक दिखाई गई असमर्थता से क्या यह सिद्ध नहीं होता कि खदानों में गायों की भांति का जिम्मेदार प्रबंधन के जमीनी और संबंधित अधिकारी जो मौके पर कार्यरत रहते हैं

महोदय आम जनता को प्राप्त सूचना के अधिकार का पालन करने में आनाकानी की जा रही है, जो कि आरटीआई की धारा 18 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष शिकायत का विषय बनता है
साथ ही निम्न तीन स्थितियों में अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी प्रक्रियाएं करने का अधिकार आवेदक को होता है
1. लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं देना धारा-7(2) आरटीआई एक्ट का उल्लंघन है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई एक्ट की धारा-7(8) का उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए और 167 के तहत ऑनलाइन/ऑफलाइन एफआईआर करने का अधिकार देता है।

2. लोक सूचना अधिकारी द्वारा झूठी जानकारी देना जिसका प्रमाण आवेदक के पास मौजूद है उस स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए, 167, 420, 468 और 471 की धारा आवेदक को ऑनलाइन/ऑफलाइन एफआईआर करने का अधिकार देती है

3. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं किये जाने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए, 188 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है

अस्तु निवेदन है कि मेरे आरटीआई आवेदन को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द सूचना उपलब्ध कराने की दया करें
जिसके लिए मैं आज सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी महोदय के समक्ष प्रथम अपीलीय प्रक्रिया कर रहा हुं

आपका
रवि त्रिपाठी

Supporting document ***(only pdf upto 1 MB)***	155

Print **Close**

प्रथम अपीलीय सुनवाई हेतु

1 message

Ravi Tripathi <ravitripathi539@gmail.com> Tue, 13 Dec, 2022 at 3:13 pm
To: Central Public Information Officer <cpiosgp@gmail.com>
Cc: gmsgp.secl@coalindia.in

महोदय

लोक सूचना प्राधिकारी
एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र जिला शहडोल मध्यप्रदेश

विषय- आरटीआई आवेदन की प्रथम अपीलीय सुनवाई के संबंध में।

मान्यवर

आपके और आपके सहायक अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा कि मेरी आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों के कारण बीते पूर्व 07/12/2022 को तय की गई सुनवाई को आपके द्वारा आगामी दिनांक के लिए टाल दिया गया था।

महोदय सविनम्र आग्रह है कि उक्त सुनवाई प्रक्रिया को कल दिनांक 14/12/2022 या निकट के किसी दिनांक को जल्द से जल्द करने का प्रबंध करें।
जिससे संबंधित मामले मे प्रदत्त सूचना का अधिकार अधिनियम का अनुपालन सुचारू रूप से जारी रहे।

आपका विश्वासी

रवि त्रिपाठी
9301036761
ravitripathi539@gmail.com

[Quoted text hidden]

एम. पी. ई-सर्विस पोर्टल
मध्य प्रदेश शासन

Ravi Tripathi (c

आर. टी. आई. आवेदन

आवेदन विवरण | कार्यवाही सूची

आवेदक का विवरण

आवेदक का नाम
Ravi Tripathi

मोबाइल क्रमांक
9301036761

ई-मेल
ravitripathi539@gmail.com

पूर्ण पता
Village Garfandiya post Bemhori Tahseel Burhar , Shahdol, Madhya Pradesh

समग्र क्रमांक
-/-

क्या आवेदक गरीबी रेखा के अधीन है?
-/-

वांछित सूचना का विवरण

आवेदन क्रमांक : MPRTI/2209/248265 **आवेदन की स्थिति :** स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है

भुगतान विवरण देखें

आवेदन दिनांक
27/सितम्बर/2022

सूचना प्रदाय करने की अंतिम तिथि
27/अक्टूबर/2022

विभाग
गृह विभाग

कार्यालय स्तर
मंत्रालय

कार्यालय स्थान
मध्यप्रदेश

कार्यालय का नाम
गृह विभाग

चाही गई जानकारी का प्रकार
रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति

चाही गई जानकारी का विवरण

महोदय

शहडोल म.प्र. के धनपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अमलाई ओसीएम, धनपुरी ओसीएम और अमलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत शारदा ओसीएम सहित उक्त थाना अंतर्गत के विभिन्न कोयला खदानों के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर या आसपास, सत्र 2019 से लेकर सितंबर 2022 तक कुल कितने गाय-बैल/भैंस-भैंसा की अन्य-अन्य कारणों से मृत्यु या हत्या हुई है?

महोदय उक्त अन्य-अन्य कारणों से मृत हुए सभी गाय-बैल/भैंस-भैंसा से संबंधित

-मौका पंचनामा की प्रमाणित छायाप्रति,

- मृत पशुओं के शवदाह/शवदफन पंचनामा की प्रमाणित छायाप्रति,

-फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट्स की प्रमाणित छायाप्रति,

-पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं।

महोदय उक्त आरटीआई आवेदन यदि आपके विभाग या कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) को संज्ञान मे लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अंदर हस्तान्तरित करें,
साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।

आपका
रवि त्रिपाठमोबाइल नंबर 9301036761
ravitripathi539@gmail.com

Latitude: 23.152562
Longitude: 81.569411
Altitude: 433.6±52 m
Accuracy: 3400.0 m
Time: 19-12-2022 13:00
Note: Secl sohagpur area
Powered by NoteCam

दामिनी माइंस में धूल खा रही लाखों रुपये की मिस्ट मशीन

लापरवाही ● जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान, अधिकारी झाड़ लेते हैं पल्ला

बंगवार (नईदुनिया न्यूज)। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के कोयला खदानों में खनन और पर्यावरण जलवायु संबंधित की जा रही लापरवाहियों की शिकायत लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पास साक्ष्य सहित पहुंच रही हैं। लापरवाहियां इस हद तक बताई जा रही हैं कि मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) अपने संज्ञान मे लिया है, और इतना ही नहीं खदानों के संचालन मे जिस-जिस स्तर की लापरवाहियां की जा रही हैं। उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि निकट भविष्य में करोड़ों रुपये का जुर्माना भरने और सुधार कार्य करने के आदेश भी अधिकरण दे सकती है।

ऊपरी तौर पर पूछा जाएं तो कालरी प्रबंधन के अधिकारी हर नियम से पल्ला झाड़ लेते हैं जैसा कि पहले तो साफ कहा जा रहा था कि खदानों के आसपास फैंसिंग का कोई औचित्य नहीं रहता ट्रिंचिंग लाइन बनवा दी जाती है इतना ही काफी है, लेकिन जब सोहागपुर क्षेत्र के पर्यावरण और खनन नियमों के पालन के मामले में सबसे ढीठ कहे जाने वाले अमलाई ओसीएम को भी जांच टीम के आगमन की सूचना मात्र से, खदान के किनारे कांटेदार फैंसिंग करानी पड़ी। बुढ़ार साइडिंग, बंगवार भूमिगत खदान, खैरहा, बामिनी आदि भूमिगत खदानों में कोल यार्ड और कांटा घर के आसपास टीन शेड और ग्रीन मेट से फैंसिंग करानी पड़ रही है, जहां जितनी लीपापोती की जा सकती है वह की जा रही है, लेकिन जिन गड़बड़ियों मे सुधारे जाने की गुंजाइश नहीं रह गई है उनके लिए क्या किया जाएगा।

कैसे उपयोग होना है मिस्ट मशीनों का : संबंधित अधिकारियों अनुसार एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र ने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर के 5 मशीनें मुख्यत बंगवार दामनी भूमिगत खदान एवं बुढ़ार रेलवे साइडिंग में उपयोग के लिए खरीदी थी। इसके साथ ही साथ इन मशीनों के इस्तेमाल से खदानों से लगे ग्रामीण क्षेत्रो को भी इसका लाभ ले सकते हैं, ऐसा कहा गया था।इन मशीनो में 5 प्रकार के मुख्य फंक्शन हैं जिससे रोड पर जल सिंचाई, वायु में उपस्थित धुल के कणों की सफाई, आग बुझाने के लिए जल सिंचाई आदि शामिल है। इस मशीन के टैंक की क्षमता 12000 लीटर की है तथा इसमें आग को बुझाने के लिए भी अलग से पाइप एवं दूर तक पानी फेंकने वाले नोल का प्रावधान है, जिससे खदानों के साथ-साथ रहवासी क्षेत्रों के लोग भी इससे लाभ ले सकते हैं।

जरुरत पड़ने पर फायर टेंडर के जैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें कोयला स्टॉक यार्ड में महीन जल कणों के द्वारा कोयला डस्ट नियंत्रण के लिए एक फागिंग मशीन लगाई गई है, जिससे हवा में उड़ते हुए धूल के कणों को भी जल की छोटी बूंदों के द्वारा गीला कर नियंत्रित किया जा सकेगा। साथ ही इसमें जल का उपयोग भी परंपरागत इस्तेमाल की जाने वाली विधियों से बहुत कम तथा बेहतर उपयोग होगा, लेकिन प्रबंधन का काम था सुविधाएं उपलब्ध कराना अब संबंधित उपक्षेत्र एवं खदान स्तर के अधिकारियों का काम है। उसे प्रबंधन की मंशा अनुसार मीन पर लागू कराना जो कि सोहागपुर क्षेत्र के लगभग सभी खदानों में धीरे-धीरे प्रभावी तौर पर लागू हो रहे हैं।

> ऐसा कुछ भी नहीं है रोज पानी का छिड़काव किया जाता है, आसपास के ग्रामीणों का काम ही है चिल्लाना, वे चिल्लाते ही रहते है, हम क्या करें।
>
> **विनय कुमार सिन्हा**
> उपक्षेत्रीय प्रबंधक अमलाई बंगवार दामिनी

वन्य प्राणी संकट में

मालूम हो कि कोयलांचल का फेफड़ा कहे जाने वाले बंगवार और सरईकापा के घने जंगल का अस्तित्व संकट में है, क्योंकि इसी जंगल के नीचे, नियम-कायदों को ताक में रख के भूमिगत कोयला खदानों का संचालन लगातार किया जा रहा है। बंगवार के जंगल की बात करें तो कई जगहों पर चौड़ी दरारे है, जांच की आंच से बचने के लिए प्रबंधन के अधिकारी कभी-कभार बड़े दरारों को मिट्टी से ऊपरी तौर पर ढकने का काम वन सीमा के भीतर बड़ी-बड़ी मशीने लेजाकर करते है। बंगवार के ही जंगल में 8 से 10 पेड़ों का अलग-अलग समूह कई जगहों पर जड़ से सूख चुका है, पर्यावरण और वन्यजीवों के प्रति प्रबंधन की असंवेदनशीलता इतनी ज्यादा है की जंगल में पड़ रहे दरार, ईंट और सीमेंट के मलवे से भरे जा रहे है, जंगल तहस-नहस होने का नतीजा ही है कि आए दिन वन्य प्राणी आसपास के मुख्य सड़क एवं खदानों में भटक आते है और दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे है।क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी पंकज गौतम एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र ने बताया कि आपके माध्यम से हमें मिली है, मै इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों से बात करता हूं।

भूमिगत खदान, शारदा खुली खदान, राजेंद्र भूमिगत खदान, खैराहा भूमिगत खदान,

वामिनी भूमिगत खदान
में आपका हार्दिक स्वागत है

Latitude: 23.144952
Longitude: 81.545809
Elevation: 499.41±26 m
Accuracy: 3.2 m
Time: 27-10-2022 14:01
Note: Bangar to Bemhori road
Powered by NoteCam

Latitude: 23.145012
Longitude: 81.545762
Elevation: 587.91±20 m
Accuracy: 9.0 m
Time: 27-10-2022 13:54
Note: Bangar to Bemhori road
Powered by NoteCam

Latitude: 23.144956
Longitude: 81.545828
Elevation: 499.01±37 m
Accuracy: 1.9 m
Time: 27-10-2022 14:01
Note: Bangar to Bemhori road
Powered by NoteCam

माइंस क्लोजर के तहत कोयला खनन के बाद पुरानी खदानों को बंद नहीं किया जाता जिससे क्षेत्र में लगातार खदान में जहरीली गैस और खदानों में दबने से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
जिस संबंध में जिला प्रशासन भी कोई बड़ी दुर्घटना के बाद ही जागती है, यदि समय से सख्ती दिखा के माइंस क्लोजर फंड का उचित उपयोग करा के खदानों को नियमानुसार बंद कराया जाए तो दुर्घटना बंद होगी।

साथ ही नवाचार के तौर पर बंद हो चुकी कोयला की खुली खदानों को कम गहराई का बना के उनमें बोटिंग आदि की व्यवस्था करा के ईको पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा सकता है लेकिन शहडोल संभाग में खासकर एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के बंद पड़े कोयला खदानों में ऐसे नवाचार नहीं किए जातें।
जैसा कि एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ के अपने कुछ पुराने कोयला खदानों में किया भी है।

शहडोल : यूजी माइंस की घटना, कबाड़ चोरी करने गए थे युवक

बंद कोयला खदान में जहरीली गैस का रिसाव, 4 युवकों की मौत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

शहडोल. जिले के धनपुरी में बंद पड़ी यूजी माइंस कोयला खदान में गुरुवार की देर रात जहरीली गैस का रिसाव होने से चार युवकों की मौत हो गई। युवक खदान में चोरी की नियत से घुसे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। मेडिकल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात 11 से 12 बजे के बघईया नाला के पास रहने वाले राज महतो(20), हजारी कोल (30), कपिल विश्वकर्मा (21), राहुल कोल (23) व सिद्धार्थ महतो एक बर्थडे पार्टी में शराब पीने के बाद योजना बनाकर खदान के अंदर कबाड़ व कोयला चोरी की नियत से घुसे थे, जहां सिद्धार्थ को खदान के भीतर घबराहट होने पर रैकी करने के लिए बाहर बैठा दिया गया था। जबकि चार लोग अंदर टार्च आरी व सब्बल लेकर चले गए थे। अंदर जाते ही कुछ देर बाद जब चारों युवकों की आहट बंद हुई और टार्च गिर गया तो सिद्धार्थ को शंका हुई। किसी तरह खदान से बाहर निकलकर उसने परिजनों को सूचना दी। बाद में सभी ने पहुंच कर पुलिस व प्रबंधन को सूचित किया। मौके पर पुलिस व कॉलरी प्रबंधन ने रेसक्यू कर चारों युवकों को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर कबाड़ कारोबारियों पर मामला दर्ज किया है।

बंद पड़ी खदान। घटना स्थल पर जांच करते एडीजीपी डीसी सागर।

रात को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर जाकर जांच की गई। रेस्क्यू कर युवकों को बाहर निकाला गया । कबाड़ माफियाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी।

कुमार प्रतीक, एसपी शहडोल

पुलिस से जानकारी मिलते ही रात में एसइसीएल की टीम ने करीब पांच घंटे तक रेस्क्यू कर मृतकों को निकाला। खदान को पूरी तरह से कंक्रीट कर दिया गया था। बदमाशों ने कबाड़ चोरी करने के लिए सुरंग बना ली थी।

सतीश चंद्रा, पीआरओ एसइसीएल

कबाड़ बेचकर की शराब पार्टी, फिर खदान में घुसे

सुबह हजारी कोल व कपिल विश्वकर्मा खदान से कबाड़ की चोरी कर अनूपर के राजा खान नामक कबाड़ी को 5 हजार रुपए में बेचा था। दिन भर उसी पैसे से सभी लोगों ने शराब पी व रात को एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद सभी लोग यूजी मांइस के भूमिगत खदान में चोरी करने की योजना बनाकर घुस गए, जो खदान में कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस के रिसाव की चपेट आ गए।

भास्कर पड़ताल : एसईसीएल प्रबंधन ने धनपुरी यूजी माइन को बंद करने के दौरान नियमों का नहीं किया पालन

खनिज विभाग को नहीं दी सूचना, रेत की जगह मिट्टी डाल कर की खानापूर्ति

बुरा नतीजा : आसानी से सेंध मारी कर अंदर घुसे 7 लोगों की जहरीली गैस में दम घुटने से हो गई मौत

भास्कर न्यूज | शहडोल

पांच साल से बंद एसईसीएल की धनपुरी यूजी (अंडर ग्राउण्ड) माइन में चोरी की नीयत से घुसे 7 लोगों की मौत पर हुई काउंटर एफआईआर के बाद दो जांच टीमें मामले की समानांतर जांच कर रही हैं। कलेक्टर द्वारा गठित पांच सदस्यीय टीम तथा एसपी द्वारा गठित एसटीएफ की चल रही जांच के बीच दैनिक भास्कर ने भी मामले की पड़ताल की। पड़ताल में अंदर छिपे कई चौंकाने वाले सच सामने आए है। पहला यह कि एसईसीएल प्रबंधन ने अपनी आउट ऑफ प्रोडक्शन अंडर ग्राउंड माइंस (भूमिगत खदानों) को बंद या यूं कहें कि सील करने हद दर्जे की लापरवाही बरती। खदान बंद करने से जुड़े नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन किया सो अलग।

तस्वीर बता रही बाकी हकीकत

दैनिक भास्कर को पड़ताल के दौरान खदान के अंदर चले रेस्क्यू की एक तस्वीर मिली है। इसमें खाना-पूर्ति के लिए सीमेंट कांक्रीट की पतली दीवार नजर आ रही है। इस कमजोर सुरक्षा दीवार को अंदर घुसने वाले युवकों ने आसानी से तोड़ दिया था। रेत की जगह मिट्टी भरे जाने की बात भी सामने आई है।

यह बात भी आई सामने : बंद खदान के आसपास रहने वालों के अनुसार दो दीवार के बीच में रेत भरने के प्रावधान का भी पालन प्रबंधन द्वारा नहीं किया जाता है। रेत की जगह मिट्टी डाल कर काम चलाते है। अन्य जरुरी मानकों का भी पालन नहीं किया गया। नागरिकों ने यह भी बताया कि एसईसीएल द्वारा बंद खदान से लेकर कबाड़ आदि की सुरक्षा में भी लापरवाही बरती गई। खदान में घुसने से जहरीली गैस से मौत संबंधी न तो चेतावनी बोर्ड लगाए गए न ही इसे लेकर जागरुकता का प्रसार भी किया गया।

चौंकाने वाला सच

खदान को बंद करने का पहला नियम यह है कि इसकी सूचना खान प्रबंधन द्वारा खनिज विभाग के क्षेत्रीय निरीक्षक, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी (डीजीएमएम) व कलेक्टर को देनी चाहिए। 2018 में धनपुरी यूजी माइन को बंद किए जाने की खनिज विभाग को सूचना ही नही दी गई। इसकी पुष्टि करते हुए जिला खनिज अधिकारी प्रमोद शर्मा ने करते हुए बताया कि 'माइन को बंद किए जाने के दौरान क्षेत्रीय निरीक्षक की मौजूदगी संबंधी कोई दस्तावेज हमारे कार्यालय में नही है।'

प्रावधानों के पालन के दावे भी गलत निकले

एसईसील सोहागपुर के जीएम पी. श्रीकृष्णा खदान के अंदर दो जगह दीवार के बीच 50 मीटर मिट्टी डाले जाने का दावा करते हैं। वे यह भी कहते हैं तत्कालीन अफसरों ने खदान बंद करने से जुड़े जरुरी प्रावधानों का पालन किया था और गैस का रिसाव रोकने खदान के मुहाने पर 0.3 मीटर आरसीसी की ढलाई कराई गई थी। पी. श्रीकृष्णा खदान बंद करने के एसईसीएल द्वारा तय मापदंडो का खुलासा नहीं करते हैं।

लापरवाही के कारण हुए हादसों की है लंबी फेहरिस्त

एसईसीएल प्रबंधन की खदानों को बंद करने में की गई लापरवाही का खामियाजा आए दिन खदानो के ऊपर बन चुके गोफ से जहरीली गैस निकलने। इस गैस से समीपी रहवासियों के बीमार पड़ने। गैस के हवा में सपंर्क में आ कर खदान के अंदर आग लगने। बंद खदानो की सुरक्षा के इंतजामात न होने और ढीला सुरक्षा कवच भेद कर खदान के अंदर चोरी की नीयत से घुसने और उस दौरान होने वाले हादसों के रूप में जब-तब सामने आता रहा है।

हादसे के 5 दिन बाद भी घटनास्थल नहीं पहुंची विधायक, कोयला-कबाड़ माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर चुप्पी को नकारा

» विधायक ने कहा- कोयला व कबाड़ माफिया पर कार्रवाई के लिए प्रशासन से हो रही बात

धनपुरी यूजी माइन में 27 जनवरी की प्रातः हुए हादसे के 5 दिन बाद भी स्थानीय विधायक मनीषा सिंह के नहीं पहुंचने के साथ ही कोयला व कबाड़ माफिया पर कार्रवाई को लेकर चुप्पी के आरोप लग रहे हैं। इस बीच स्थानीय भाजपा विधायक मनीषा सिंह ने

पूरे मामले को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया कि 26 जनवरी की रात हादसे की सूचना मिली थी, इसके बाद से लगातार कुछ न कुछ जरुरी काम आने के कारण घटनास्थल नहीं जा पाई। उन्होंने बताया कि कोयला व कबाड़ माफिया पर कार्रवाई के लिए प्रशासन व पुलिस से बात कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि कोयला व कबाड़ माफिया पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।

SP Shahdol @shahdol_police · 29 Jan

SP Shahdol की अनुशंसा पर @dmshahdol ने धारा 144 दप्रसं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर बंद खदानों में प्रवेश को निषेध किया, प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस द्वारा मुनादी कराई जा रही है।

@CMMadhyaPradesh @DGP_MP
@MPPoliceDeptt @ADGP_Shahdol
@KPrateek_IPS
@JansamparkMP

1 9 18 863

चेतावनी

आप सभी जन सामान्य एवं ग्रामीण नागरिको को सूचित किया जाता है कि पुरानी बंद कोयला खदानो के अन्दर जहरीली गैस इकट्ठा हो गई है जिससे खदान के आसपास जाने और अन्दर घुसने से जान को खतरा है आप किसी भी बंद खदानो खुले गोप गढ्ढो, मुहाडे के आसपास ना जाये और ना ही अन्दर घुसे । कोयले या कबाड के लालच में अपनी जान को जोखिम और खतरे में ना डाले आप अपनी और अपनो की जान सुरक्षित रखें।

सूचना जनहित में जारी ।

सावधान.....सावधान.....सावधान.....सावधान

थाना प्रभारी

थाना अमलाई, जिला शहडोल

2018 से बंद एसईसीएल धनपुरी यूजी माइन में हादसा, रात चार घंटे चला रेस्क्यू

शहडोल: बंद कोयला खदान में घुसे चार युवकों की दम घुटने से मौत

भास्कर न्यूज | शहडोल

जिले के धनपुरी अंडर ग्राउंड (यूजी) कोयला खदान में 26 जनवरी की रात धनपुरी निवासी चार युवकों की दम घुटने से मौत हो गई और एक युवक घायल हुआ। इस खदान को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने वर्ष 2018 में बंद कर दिया था। ये युवक गुरुवार रात करीब 10 बजे खदान का बंद गेट तोड़कर अंदर घुसे। अंदर जाने के बाद सिद्धाई तामे युवक को गैस के कारण असहज महसूस हुआ और वह फौरन बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद अंदर आवाज लगाई तो उन चारों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। मोबाइल भी नहीं लगा। वह भागकर घर पहुंचा और परिजनों के साथ पहले पार्षद फिर पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद ही शहडोल जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन ने रेस्क्यू अभियान शुरु किया। सुबह चार बजे चारों युवकों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों में हजारी लाल कोल (30), राहुल कोल (25), कपिल विश्वकर्मा (22) व राजमहतो (20) शामिल हैं। शेष पेज 10 पर

एसईसीएल की बंद कोयला खदान जिसे तोड़कर युवक अंदर घुसे।

कोयला व कबाड़ का अवैध कारोबार बनी वजह

चारों युवकों की मौत की वजह कोयला व कबाड़ का अवैध कारोबार को माना जा रहा है। कलेक्टर वंदना वैद्य ने बताया कि मृत युवक चोरी के इरादे से बंद खदान में गए थे। पड़ोसियों का कहना है कि इन युवकों ने गुरुवार सुबह ही खदान के अंदर से लोहे का कबाड़ लाकर धनपुरी चार नंबर दफाई स्थित कबाड़ी को 13 सौ रुपए में बेचा था। कोयलाचंल में बड्डे, पप्पू और राजा कबाड़ी पहले भी सक्रिय रहे हैं। हादसे के बाद लोग गुस्से में हैं। कह रहे हैं कि कोयला-कबाड़ का अवैध कारोबार नहीं होता तो युवकों की जान बच जाती। ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई में पुलिस की भूमिका सवालों में है। एसईसीएल प्रबंधन का कहना है कि जांच का विषय यह भी है कि युवक किसके प्रलोभन में अंदर गए, उन्हें अंदर जाने के लिए किसने प्रेरित किया। घटना पर एसपी कुमार प्रतीक ने बताया कि चारों युवकों की मौत की वजह गैस रिसाव है। बंद खदान के अंदर लोहे का समान पड़ा था। वे राजा मुसलमान के कहने पर चोरी की मकसद से अंदर गए थे।

शहडोलः दोस्तों के साथ नहाने गए छात्र की कोयले की अवैध खदान में डूबने से मौत

भास्कर न्यूज | शहडोल/धनपुरी

कोयले की अवैध खदान ने फिर एक जान ले ली। शहडोल जिले के अमलाई थाना अंतर्गत सोन नदी के बटुरा पाल घाट पर दोस्तों के साथ नहाने गए 12वीं के छात्र उत्तम (17) पिता छोटा वासुदेव की डूबने से मौत हो गई। घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की है। उत्तम अपने दोस्त चरण और शेखर के साथ नदी पर नहाने गया था। इस दौरान वो कोयले के अवैध खनन के लिए खोदे गए गड्ढे में फंस गया। देर तक बाहर नहीं निकलने पर साथियों ने गांव पहुंचकर लोगों को घटना के बारे में बताया। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, लेकिन तीन-चार घंटे तक सरकारी अमला बचाव के लिए पहुंचा ही नहीं। इस बीच ग्रामीणों ने पंप लगाकर गड्ढे से पानी निकाला। चार घंटे बाद जब शव निकाला गया तब पुलिस मौके पर पहुंची।

सोन नदी में गड्ढे और सुरंग बनाकर हो रहा कोयले का अवैध खनन

नहीं हो रही कार्रवाई

किशोर की मौत के बाद गांव में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिन से लगातार गड्ढे व सुरंग बनाकर कोयले का अवैध खनन हो रहा है। बुढ़ार व धनपुरी के लोग दो से तीन ट्रक में कोयला भरकर ले जा रहे हैं। इसकी जानकारी पुलिस व प्रशासन को देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है।

Ravi tripathi @RaviTripathi25 · 1m

कोयले का अवैध खनन अब जनमानस को सीधे-सीधे लील रहा है।
अवैध खनन से 15 दिन के अंदर यह 4+3+1=8वीं मौत है।
शहडोल के सोननदी के बटुरा पाल घाट पर दोस्तों के साथ नहाने गए 12th के छात्र उत्तम (17) s/o छोटा वासुदेव की माफियाओं द्वारा खोदे गए गड्ढे में फंसने से मौत हो गई।
@CMMadhyaPradesh

DGMS and 7 others

Ravi tripathi @RaviTr... · 30 Jan

This string video is getting viral in social media since last 3 day...

सात मौतों के बाद भी कोयले के अवैध ठीहों तक नहीं पहुंची पुलिस, कबाड़ तक सीमित कार्रवाई

भास्कर एनालिसिस

भास्कर न्यूज | शहडोल

धनपुरी स्थित साउथ ईस्टर्न कोल्फील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) की बंद कोयला खदान धनपुरी अंडर ग्राउंड (यूजी) माइन में सात युवकों की मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई अवैध कबाड़ियों तक सीमित है। बतादें कि बंद खदान से 4 युवकों हजारी लाल कोल (30), राहुल कोल (25), कपिल विश्वकर्मा (22) व राजमहतो (20) का शव 27 जनवरी की सुबह बाहर निकाला गया। इसके अलगे ही दिन शनिवार देरशाम 3 युवकों (रोहित कोल, मनोज बर्मन व राजेश मिश्रा) का शव बाहर निकाला गया। सात मौतों के बाद कोयलाचंल में नागरिक गुस्से में हैं। बेरोजगार युवाओं को लालच देने वाले कोयला और कबाड़ के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच दो दिनों तक पुलिस की कार्रवाई कबाड़ तक सीमित रही तो कोयले का अवैध खनन बदस्तूर जारी रहा। रविवार को जिले के धनगवां और डालाघाट में कोयले के अवैध खनन की तस्वीरे सामने आई। लोगों ने सोशल मीडिया में कोयले के अवैध खनन की तस्वीरें पोस्ट कर कहा कि लगता है कि कोयले की नई निजी खदानें चालू हो गई है, जबकि तस्वीरें कोयले के अवैध खनन की रही। इस बीच प्रशासन व पुलिस ने रविवार को फरार आरोपी पप्पू टोपी उर्फ अफरोज निवासी धनपुरी व गुड्डू उर्फ गुड्डा उर्फ नियाज खान निवासी माईकल चौक धनपुरी के अतिक्रमण कर बनाए गए कबाड़ के ठीये पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस बीच एक बार फिर पुलिस द्वारा गठित एसआइटी के सदस्यों पर सवाल उठे। कहा जा रहा है कि टीम में उन्ही थानाक्षेत्र के प्रभारियों को शामिल किया गया है, जहां की शिकायत आ रही है। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी।

दो कबाड़ियों के अवैध ठीहे पर चला बुलडोजर

बंद खदानों में धारा 144 लागू, सुरक्षा के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित

एसपी की अनुशंसा के बाद कलेक्टर के आदेश पर बंद खदानों में धारा 144 लागू किया गया। इसके साथ ही कलेक्टर वंदना वैद्य ने बंद कोयला खदानों में सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया है। इसमें पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा, आरओ क्षेत्रीय कार्यालय रीवा एसएन पांडेय, महाप्रबंधक एसईसीएल सोहागपुर एरिया पीश्री कृष्णा, खनिज अधिकारी प्रमोद शर्मा, एरिया सेफ्टी ऑफीसर एसईसीएल एसबी सिंह शामिल हैं।

अमलाई ओसीएम, धनगवां व बकहो सहित आधा दर्जन स्थानों पर कोयले का अवैध खनन, लालच में फंस रहे बेरोजगार युवा

कोयले के अवैध खनन का कारोबार अमलाई ओसीएम के समीप सहित बकहो में सोन नदी किनारे से लेकर डाला घाट व धनगवां सहित अन्य स्थानों पर संचालित है। जानकार बताते हैं कि कोयला माफिया युवाओं की बेरोजगारी का लाभ उठाकर लालच में फंसाकर गोरख धंधे में धकेल रहा है।

कांग्रेस ने बनाई जांच टीम

धनपुरी के बंद खदान में सात लोगों की मौत की जांच कांग्रेस पार्टी द्वारा भी अपने तरीके से कराई जाएगी। पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता दुखद हृदय विदारक घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। जिसमें ब्लाक अध्यक्ष सुजीत सिंह, शोभाराम पटेल, मुबारक मास्टर, हनुमान खंडेलवाल एवं बलमीत सिंह खनूजा शामिल हैं। श्री गुप्ता ने जांच टीम को पूरे मामले की सूक्ष्म जांच कर दो दिनों के अंदर रिपोर्ट सौपने का निर्देश दिया है।

अमलाई कॉलरी में भी खुली पड़ी है खदान

धनपुरी यूजी माइंस की तर्ज पर क्षेत्र में अमलाई कालरी सहित अन्य खदानें खुली पड़ी हैं, जहां से कोयला व कबाड़ की चोरी हो रही है। पुरानी खदानों में अमलाई कालरी के टिप्पलर साइडिंग में कालरी का मुंह खुला हुआ है। बरगवां अमलाई नगर परिषद के वार्ड 9 की पार्षद अर्चना अजय यादव सहित स्थानीय राजनैतिक दलों के नेताओं ने मौका निरीक्षण किया। जिसमें आसानी से दर्जनभर लोग आ जा सकते हैं। यह कॉलोनी के बगल से हैं, ऐसे में कभी भी बच्चे या जानवर खतरे में आ सकते हैं। कोयला और कबाड़ चोरों ने बंद खदान का मुंह खोल दिया है। बड़ी घटना को रोकने कलेक्टर एवं कालरी प्रबंधन से नियमों के अनुसार तत्काल बंद करने की अपील की है। सिद्ध बाबा खदान का भी निरीक्षण भाजपा नेता अरविंद साहनी, मनीष तिवारी, राजीव रावत, रवि दुबे, राहुल मिश्रा, नीरज नामदेव ने कहा है कि स्थानीय जनता के साथ सभी दल के लोग आंदोलन करेंगे।

बटुरा घाट पहुंचने के रास्ते पर ट्रक के पहिए के निशान बता रहे अवैध खनन की कहानी

भास्कर लगातार

भास्कर न्यूज | शहडोल/धनपुरी

कोयले के अवैध खनन के लिए सोन नदी के बटुरा घाट पर खोदे गए गड्ढे में डूबने से 17 वर्षीय बालक उत्तम की मौत के बाद एक बार फिर इस गोरखधंधे पर अंकुश लगाने के प्रयासों पर सावलिया निशान लग गया है। रविवार दोपहर घाट तक पहुंचने के रास्ते पर ट्रकों के पहिए के निशान यहां कोयले के अवैध खनन और परिवहन की कहानी बयां कर रही। उत्तम के बड़े पिता लल्लू वासुदेव व स्थानीय ग्रामीण दुर्गेश सहित अन्य ने बताया कि कोयले का अवैध खनन और परिवहन खुलेआम चल रहा है। दो दर्जन से ज्यादा गड्ढे खोदकर दिनभर अवैध कोयला निकालकर नियत स्थान पर एकत्रित किया जाता है। बाद में बुढ़ार व धनपुरी से आने वाले ट्रकों पर अवैध परिवहन कर कोयला ले जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कोई संजय एजेंट है, जो ग्रामीणों को कोयला निकालने के एवज में पैसे देता है।

अवैध गड्ढों से दिनभर कोयला निकालकर एक स्थान पर रखवाने के बाद बुढ़ार-धनपुरी से आने वाले ट्रकों पर होता है अवैध परिवहन

घाट पर बड़े तादाद में अवैध गड्ढे

यह तस्वीर कोयले के अवैध खनन के लिए खोदा गया सुरंग नुमा गड्ढा है। इस तरह के गड्ढे बटुरा घाट पर बहुतायत में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कोयले के अवैध खनन के लिए डायनामाइट लगाकर पत्थरों में विस्फोट कर गड्ढा बनाया जाता है। पंप से पानी निकालकर कोयले का अवैध खनन किया जाता है।

कबाड़ तक सीमित रही कार्रवाई

बुढ़ार, धनपुरी व अमलाई थानाक्षेत्र में कोयला और कबाड़ का अवैध कारोबार युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) की बंद कोयला खदान धनपुरी अंडर ग्राउंड (यूजी) माइन में 27 जनवरी को 4 और 28 जनवरी को 3 युवकों की दम घुटने से मौत के बीच पुलिस की कार्रवाई कबाड़ माफिया तक सीमित रह जाने के मामले में भी सवाल उठे थे। नागरिकों ने कोयला माफिया पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यहां लगातार कोयले का अवैध कारोबार चलता रहा, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से कोयला माफिया का हौसला बुलंद रहा।

- बटुरा घाट पर युवक की मौत की जानकारी मिली है। कोर्ट पर पेशी के कारण मौके पर पहुंचने पर विलंब हुआ।

-ओमेश्वर ठाकरे थाना प्रभारी अमलाई

खनिज विभाग ने की खानापूर्ति

कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर वंदना वैद्य के निर्देश पर खनिज अमले ने 3 व 4 फरवरी को निरीक्षण किया। खनिज अधिकारी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि टिकुरीटोला व बटुरा में एसआइ समय लाल गुप्ता व टीम ने निरीक्षण किया है। इधर, सोमवार की घटना के बाद खनिज विभाग के निरीक्षण पर भी सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमले ने कोयले के अवैध खनन के खोदे गए गड्ढों को भरने में महज खानापूर्ति की।

Collector Shahdol @dms... · 5d

कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य के निर्देशानुसार कोयले के अवैध खनन की रोकथाम एवं कोयले के अवैध खनन के गड्ढों को भरने का कार्य खनिज अधिकारी, खनिज अमला, तहसीलदार बुढार, थाना प्रभारी अमलाई एवं एसईसीएल प्रबंधन द्वारा किया गया। क्षेत्र में 14 गड्ढों को जेसीबी मशीनों द्वारा भरा गया।

1,588 views

Jansampark MP and Home Department, MP

2 4 30 2,900

धनपुरी की बंद खदान में 7 युवकों की मौत के मामले की कलेक्टर के पास पहुंची जांच रिपोर्ट में कोयला कंपनी का गुणगान

2 दिन चली जांच, टीम ने वही देखा जो एसईसीएल के अफसरों ने दिखाया

बंद खदान की दीवार तोड़ने में युवक कैसे सफल हुए इसका जिक्र ही नहीं

भास्कर एक्सक्लूसिव

भास्कर न्यूज | शहडोल

साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) की धनपुरी अंडर ग्राउंड (यूजी) माइन्स में 7 युवकों की मौत के बाद हादसे के कारणों की जांच के लिए कलेक्टर द्वारा गठित 5 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट कलेक्टर के पास पहुंच चुकी है। दो दिन (30 और 31 जनवरी) तक टीम के सदस्यों ने जांच जरूर की लेकिन उन्होंने देखा जो एसईसीएल के अफसरों ने दिखाया। यही वजह रही कि जांच दल द्वारा बुधवार को कलेक्टर को सौंपी जांच रिपोर्ट में कोयला कंपनी का भरपूर गुणगान दल के सदस्यों ने किया। जानकर ताज्जुब होगा कि इस जांच रिपोर्ट में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि सामान्य युवक बंद खदान की दीवार तोड़कर अंदर घुसने में कैसे सफल हुए? और यह भी कि वर्ष 2018 में एसईसीएल प्रबंधन द्वारा खदान बंद करने के दौरान तय मानकों का पालन किया गया या नहीं? जांच रिपोर्ट के सामने आए इन पहलुओं पर जब दैनिक भास्कर ने पीसीबी के आरओ संजीव मेहरा से बात की तो उन्होंने यह कहते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया कि 'ज्वाइंट कमेटी में 5 लोग थे, रीवा से जानकार आए थे। इसमें मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है।' एसईसीएल के धनपुरी एरिया के जीएम पी. श्रीकृष्णा ने भी केवल इतना कहा कि 'हादसे की जांच कमेटी ने जो ठीक समझा वही लिखा।' 2018 में धनपुरी यूजी खदान बंद करने के दौरान मानकों का पालन हुआ या नहीं, इस पर भी श्रीकृष्णा टिप्पणी करने से कतरा गए।

शहडोल। एसईसीएल सोहागपुर एरिया में जांच पर चर्चा करते जांच टीम के सदस्य।

दैनिक भास्कर

फॉलोअप एक फरवरी को प्रकाशित खबर

यह सुझाव दिए

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संजीव मेहरा, क्षेत्रीय प्रमुख भौमिकी एवं खनि कर्म रीवा एसएन पांडेय, जीएम एसईसीएल सोहागपुर पी श्रीकृष्णा, जिला खनिज अधिकारी प्रमोद शर्मा और एसईसीएल के एरिया सेफ्टी ऑफिसर एसबी सिंह की संयुक्त जांच टीम ने भविष्य में हादसे रोकने कई सुझाव भी दिए हैं। सबसे पहले इसी बात पर जोर दिया है कि अंडर ग्राउंड खदान बंद करने के दौरान सीलिंग की प्रक्रिया नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही पुलिस द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली पेट्रोलिंग रुट में बंद खदानों के रुट शामिल किए जाने, एक बार खदान बंद होने के बाद दोबारा मॉनिटरिंग का प्रावधान किए जाने के साथ ही दायित्व निर्धारण और कोयला व कबाड़ चोरी के मामलों में पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई किए जाने की महती आवश्यकता पर भी बल दिया है।

SECL सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत
धनपुरी ओसीएम की बंद
पड़ी पुरानी खदान जिसे ईको
पर्यटन के तौर पर उपयोग
किया जा सकता है।
Latitude: 23.152396
Longitude: 81.576195
Elevation: 493.75±4 m
Accuracy: 2.1 m
Time: 06-01-2023 14:11
Note: old Dhanpuri ocm
Powered by NoteCam

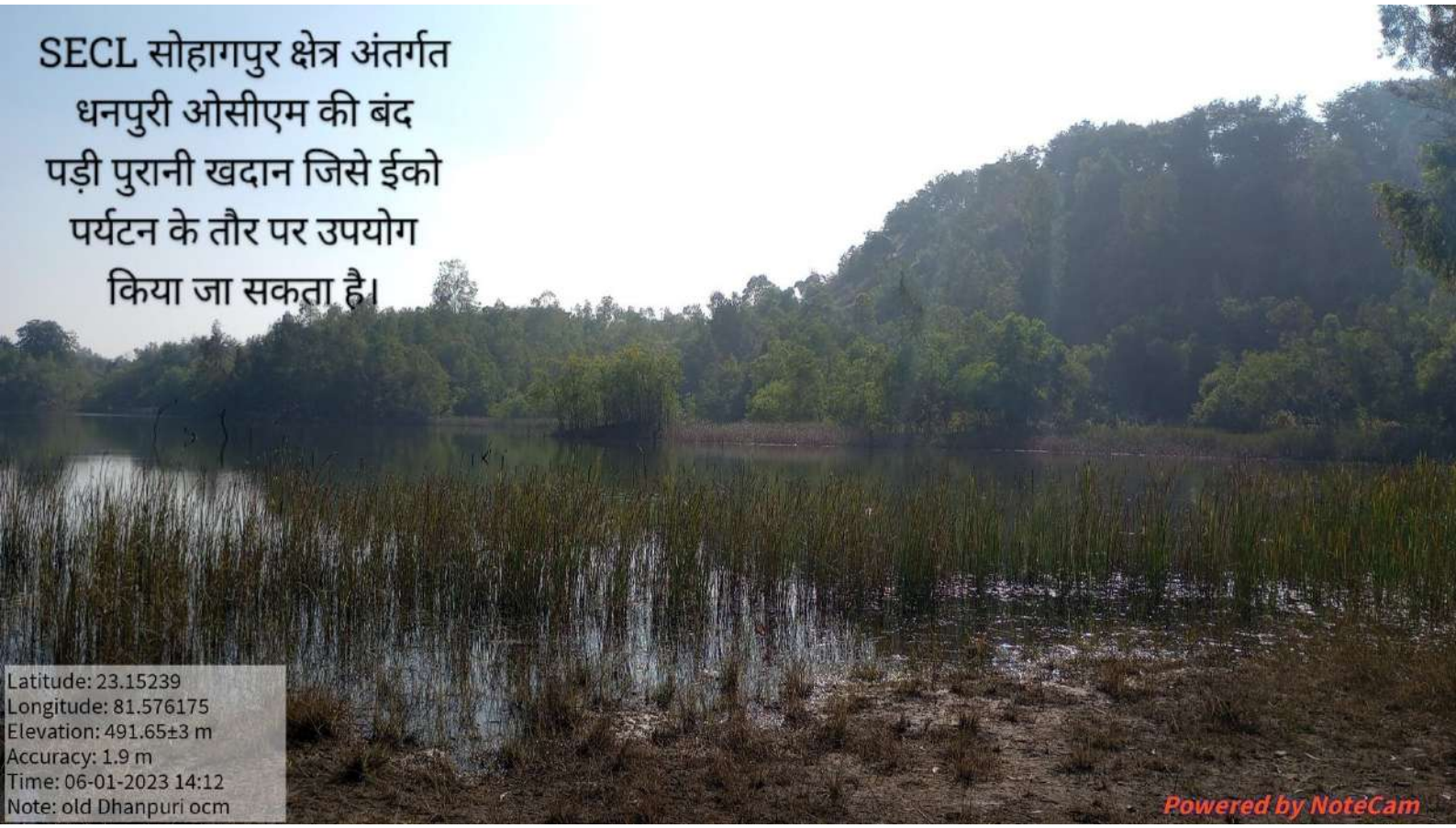
SECL सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत
धनपुरी ओसीएम की बंद
पड़ी पुरानी खदान जिसे ईको
पर्यटन के तौर पर उपयोग
किया जा सकता है।
Latitude: 23.15239
Longitude: 81.576175
Elevation: 491.65±3 m
Accuracy: 1.9 m
Time: 06-01-2023 14:12
Note: old Dhanpuri ocm
Powered by NoteCam

कार्यालय ग्राम पंचायत बेम्हौरी

जनपद पंचायत सोहागपुर, जिला–शहडोल (म.प्र.)

श्रीमती सरोज बैगा
सरपंच

पता : ग्राम पोस्ट–बेम्हौरी
जिला–शहडोल (म.प्र.)
मो.नं.: 7000978541

क्रमांक 8 दिनांक : 19/12/22

ग्रा.पं. बेम्हौरी के ग्राम गरफंदिया के तालाब

1. 'पेतेरिया तालाब' में कुछ विषम भौगोलिक स्थिति के कारण जल स्तर काफी नीचे होने के कारण वर्षाकाल के उपरांत पूरे वर्ष सूखा रहता है।

2. 'हरदीहाई तालाब' कुछ बरसाती नाले के वहाव से जुड़े होने के कारण वर्षा काल में भरा रहता है और लेकिन ग्रीष्मकाल में जल स्तर में 95 प्रतिशत तक कम रहता है।

3. 'जुनहा तालाब' वरसाती नालों से जुड़े होने के कारण वर्षाकाल एवं शीतकाल में जल का भराव रहता है जिसमें सिंघाड़े की खेती भी करी जाती है लेकिन दयनीय भूजल स्तर एवं वर्षों से गहरी करण न हुए होने के कारण 'जुनहा तालाब' भी ग्रीष्म काल में 98 प्रतिशत तक सूख जाता है।

बेम्हौरी पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले उक्त सभी तालाबों की जानकारी भौतिक निरीक्षण उपरांत तैयार की गई है जो कि पूर्ण रूप से सत्य है।

साथ हि किसी भी संस्था या विभाग को बेम्हौरी पंचायत क्षेत्र मे भूजल स्तर की वास्तविक स्थिति जांचनी हो तो वें अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह के मध्य पंचायत क्षेत्र के तालाबों, हैंडपंप एवं कूप आदि का निरिक्षण कर सकते हैं।

पंचवार्ड 15
अशोक महरा

वार्ड-08 पंच
फुलमाल

सचिव
ग्राम पंचायत बेम्हौरी
जनपद पंचायत सोहागपुर
जिला शहडोल (म.प्र.)

सरोज
सरपंच
ग्राम पंचायत बेम्हौरी
जन पंचा. सोहागपुर
जिला शहडोल (म.प्र.)

उपसरपंच
ग्राम पंचायत बेम्हौरी
ज.प. सोहागपुर, जि. शहडोल (म.प्र.)

20 Dec 2022, 1:43 pm

खदानों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों खासकर ग्राम पंचायत बेम्हौरी के क्षेत्रों में तालाबों की दुर्दशा जिसकी तस्दीक खुद संबंधित ग्राम पंचायत कर रही है, साथ ही जिओ टैगिंग सहित कुछ फोटो भी संलग्न है।

कार्यालय ग्राम पंचायत बेम्हौरी

जनपद पंचायत सोहागपुर, जिला–शहडोल (म.प्र.)

श्रीमती सरोज बैगा
सरपंच

पता : ग्राम पोस्ट–बेम्हौरी
जिला–शहडोल (म.प्र.)
मो.नं.: 7000978541

क्रमांक : 9

दिनांक : 19/12/22

<u>ग्राम पंचायत बेम्हौरी के तालाबों विशेषकर 'रानी तालाब' के संबंध में।</u>

1. ग्राम बेम्हौरी का 'रानी तालाब' पूरी तरह सूख चुका है, ग्रीष्मकाल में तालाब के अंदर धूल उड़ने की स्थिति रहती है वहीं वर्षाकाल मे एकाध फिट जल का भराव होता है जो कि किसी उपयोग के लायक नहीं रहता यानी वर्तमान में 'रानी तालाब' किसी भी तरह के सिंघाड़ा उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि कार्य आदि के उपयोग में नहीं लिया जाता, 'रानी तालाब' की यह स्थिति करीब एक दशक से है।

2. 'रामसागर तालाब' और 'खलरबोथी तालाब' में ग्रीष्म काल तक जल का भराव रहता है जिसमें मत्स्य पालन आदि कार्य होते हैं लेकिन उक्त दोनों तालाबों मे गहरी करण/ तलीझाड़ सफाई की आवश्यकता है।

3. गुडरूघाटा तालाब मे वर्षा जल का भराव कुछ महिने रहता है जो कि सिर्फ मवेशियों के पीने के लिए होता है, ग्रामीणों के निस्तार के लायक उसमें पानी नहीं है।

4. 'जुगनू तालाब' में भी सिर्फ वर्षा जल ही रुक पाता है ग्रीष्म काल में ग्राम बेम्हौरी का जुगनू तालाब भी करीब 95 प्रतिशत तक सूख जाता है।

वार्ड 15 पंच
उपरोक्त सत्य
वार्ड न. 08 पंच
फतेलाल

सचिव
ग्राम पंचायत बेम्हौरी
जनपद पंचायत सोहागपुर
जिला शहडोल (म.प्र.)

सरोज
सरपंच
ग्राम पंचायत बेम्हौरी
जन पंचा. सोहागपुर
जिला शहडोल (म.प्र.)

ग्राम पंचायत बेम्हौरी
ज.प. सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.)

20 Dec 2022, 1:43 p

जुनहा तालाब ग्राम बेम्हौरी

रामसागर तालाब ग्राम बेम्हौरी
14 May 2022, 11:00 am

हरदिहाई तालाब ग्राम
गरफंदिया/बेम्हौरी
15 May 2022, 10:46 am

रानी तालाब ग्राम बेम्हौरी
8 Apr 2022, 10:44 am

Latitude: 23.1404
Longitude: 81.556617
Elevation: 528.01±67 m
Accuracy: 2.5 m
Time: 20-10-2022 15:10
Note: Rani talab Bemhori
Powered by NoteCam

Latitude: 23.140455
Longitude: 81.556587
Elevation: 520.51±18 m
Accuracy: 1.7 m
Time: 20-10-2022 15:11
Note: Rani talab Bemhori
Powered by NoteCam

Ravi tripathi @RaviTripa... · 18 May

Sir @himanshuchandra 🙏

There is a dire need of deepening in रामसागर and जुनहा pond of ग्रा.पं. बेम्हौरी under Sohagpur block.

After cleaning them, the water level of the area will improve.

The water level of the बेम्हौरी area is in very pathetic condition sir.

Please 🙏

Collector Shahdol and 4 others

Ravi tripathi @RaviTripa... · 16 May

शहडोल के ग्रा.पं. बेम्हौरी में एक भी खेल का मैदान नहीं
वर्षों से युवाओं की मांग है कि एक इनडोर स्टेडियम और खेल का मैदान चहिए
प्रशासन को मांग पत्र भी दिया गया लेकिन "@MP_DSYW Shahdol" के स्थानीय डिप्टी डायरेक्टर सहित सभी अधिकारियों को शिकायत बंद कराने के अलावा कुछ सूझता कहां है?

समस्या | लगातार मांग करने के बाद भी खेल एवं युवा कल्याण विभाग सहित अन्य जिम्मेदार विभाग कर रहे अनदेखी

खेल मैदान नहीं होने से खेतों में खेलने को मजबूर हैं युवा खिलाड़ी

Shahdol Commissioner and 9 others

Promote

1

Ravi tripathi @RaviTrip... · 10 May

I am facing this problem in my moto e5 plus. Mobile is not tu on, what would be the problem with

Ravi tripathi @RaviTripa... · 01 Apr

Due to pollution in the coalfield of Shahdol district, the life of the common people is difficult.
"जिम्मेदार मूकदर्शक सिद्ध हो रहे हैं"
(जर्जर सड़क और अनफिट ट्रकों ने दम घोंटा)
@CPCB_OFFICIAL @environment_mp @S_Nagachari @secl_cil @CoalIndiaHQ @PMOIndia @CMMadhyaPradesh

साइडिंग से उड़ रहा कोलडस्ट। • नईदुनिया

अमलाई (नईदुनिया न्यूज)। इंद्रानगर स्थित कोल साइडिंग फिर से संचालित हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदंडों के विपरीत संचालित यह साइडिंग सदैव विवाद में बनी रही है। दो-दो साइडिंग का संचालन इस क्षेत्र से किया जा रहा है। ग्रामीणों को कभी दबंगों का भय तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों का भय दिखा डरा धमकाकर साइडिंग का संचालन किया जा रहा है। इन सब से त्रस्त ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन का दरवाजा खटखटाया किंतु खाली हाथ ही लौटे हैं। यहां प्रदूषण नियंत्रण ही रवैये रहे तो आगे भी झेलते रहेंगे। पूर्व से संचालित एक कंपनी ने यह साइडिंग दूसरी कंपनी को विक्रय कर दी है, जो अब संचालित कर रही है। नियम कायदों को दरकिनार कर कोयले की लोडिंग और अनलोडिंग की जा रही है, जिसके कारण भारी मात्रा में साइडिंग से डस्ट उड़कर लोगों के घरों में घुस रहा है। संचालक न तो पानी का छिड़काव कर रहा न ही स्प्रिंकलर मशीन काम कर रहा है, लोडिंग अनलोडिंग से उड़ती डस्ट लोगों के घरों मोटी परत के रूप में जमा हो रही है।

पीसीबी की खुली छूट ग्रामीणों के लिए बन रही काल

Promote

1 3

Ravi tripathi @RaviTripa... · 01 Apr

@secl_cil सोहागपुर क्षेत्र में आरटीआई को कैसे उलझाया जाए,इस बात की क्षेत्रीय अधिकारियों को बकायदा ट्रेनिंग सी मिली हुई है, साम... जानकारी को संवेदनशील बताकर अधि... ड़ रहें पल्ला

Ravi tripathi @RaviT... · 23 Dec 20

@secl_cil सोहागपुर क्षेत्र के धनपुरी से बंगवार होते हुए बेम्हौरी तक का मार्ग मे 24घटे
प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर है।
कारण सिर्फ ओव्हर लोड कोल ट्रक से जर्जर हुआ मार्ग & अनफिट ट्रक हैं

@CoalIndiaHQ @CoalMinistry
@CPCB_OFFICIAL @PMOIndia
@OfficeofSSC @JoshiPralhad
@environment_mp

PMOPG पोर्टल में की गई शिकायत के बाद जांच के संबंध में। Ravi tripathi

1 message

Ravi Tripathi <ravitripathi539@gmail.com> Thu, 22 Dec, 2022 at 2:49 pm
To: ashokdgms@gmail.com, wz.jbpdgms@gmail.com, gmsgp.secl@coalindia.in, sdm_sohagpur@yahoo.in, ministerforest1962@gmail.com <ministerforest1962@gmail.com>
Cc: dgmsindia@gmail.com
Bcc: Ravi Tripathi <ravitripathi539@gmail.com>

सेवा में

खान सुरक्षा महानिदेशालय जबलपुर मध्यप्रदेश
JABALPUR REGION, PLOT No.1936 to 1949, JDA SCHEME No.5,
BEHIND JOY HIGHER SECONDARY SCHOOL, VIJAY NAGAR, JABALPUR, MADHYA PRADESH, PIN: 482002

विषयः- PMOPG पोर्टल में की गई शिकायत के बाद जांच के संबंध में

मान्यवर

एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र का निरीक्षण खान सुरक्षा महानिदेशालय जबलपुर मध्यप्रदेश से आए अधिकारी श्री ए.के. दास जी द्वारा किया गया जिसके संबंध में मोबाइल कॉल द्वारा मुझे यानी शिकायतकर्ता रवि त्रिपाठी को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया।

1.
महोदय एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के बंगवार भूमिगत खदान के जांच के संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि
शिकायत के कई बिंदुओं पर कॉलरी प्रबंधन ने शिकायत, प्रक्रिया में आने के बाद सुधारात्मक कदम उठाए हैं जिसकी जानकारी साक्ष्य सहित मैंने डीजीएमएस जबलपुर से आए श्री एके दास जी को दी है और उन्होंने अपनी डायरी में पेंसिल से दर्ज भी करी है।
वहीं बंगवार, खैरहा और दामिनी भूमिगत खदान मे कोयला खनन के बाद खदान में मिट्टी और रेत भरे जाने के संबंध मे श्री दास जी ने कहा कि यह पुराने समय के नियम हैं जो कि अब प्रचलन में नहीं हैं। श्री दास जी, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी एवं बंगवार माइंस के प्रबंधक एवं उपक्षेत्रीय प्रबंधक के साथ हम ने बंगवार खदान के कुछ धंसान (गोफ) संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण दौरा भी किया जहां कि स्थिति काफी दयनीय थी, वहां का पूरा जंगल नष्ट होने की कगार पर है, कई जगहों पर जमीन फट रही हैं, जिनमें ऊपरी तौर पर मिट्टी आदि डाल के ढ़ापने की प्रक्रिया कर के जनसामान्य की नजरों से छुपाने की कोशिश की जाती है जो कि इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं कहा जा सकता।

2.
एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के अमलाई ओसीएम की मुख्य मार्ग वाले क्षेत्रों में लगे फैंसिंग भी श्री एके दास जी द्वारा देखी गई जो कि मेरी एक जनहित याचिका के बाद माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित टीम के निरीक्षण आदेश के बाद आनन-फानन में लगाई गई।

वहीं अमलाई ओसीएम से हैवी व्लास्टिंग की शिकायत करने पर श्री एके दास जी को प्रबंधन की। तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका जिसके बाद उन्होंने इस संबंध मे निरीक्षण करने की भी बात कही लेकिन जांच समय में मेरे रहते हुए हैवी व्लास्टिंग आदि से संबंधित कोई जांच श्री एके दास जी द्वारा नहीं किए गएं, आखिर क्यों?

3.
साथ ही 31/07/2022 को एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के अमलाई ओसीएम में एक साथ करीब 8 गौवंशो की संदेहास्पद मौत हुई थी और करीब एक सप्ताह बाद शारदा ओसीएम के प्रतिबंधित क्षेत्र में कई गौवंशों की संदेहास्पद मौत हुई थी (फोटोग्राफ्स मै इस ईमेल के साथ संलग्न कर रहा हुं) जिसकी जांच और कार्यवाही आज दिनांक तक सिफ़र है।
इसके संबंध में मैंने मामले की एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियां सूचना का अधिकार के तहत मांगी जिसपर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जो कि एक बड़े संदेह को जन्म देता है। वर्तमान में संबंधित आरटीआई आवेदन प्रथम अपीलीय प्रक्रिया में है।

4.
महोदय एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के दामिनी भूमिगत कोयला खदान में बारूद परिवहन में नियमों को दरकिनार कर के मोटर साइकिल से चार्ज, बारूद आदि का लाया-लेजाया जाता है, (जिसके फोटोग्राफ्स जो कि दिनांक 18/06/2022 को लिए गए हैं, इस ईमेल में संलग्न कर रहा हुं) जिससे कभी भी कोई बड़ी

दुर्घटना घट सकती है। जिस संबंध में संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और उपक्षेत्रीय प्रबंधक श्री विनय सिन्हा से इस संबंध में चर्चा की गई थी लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

5.
अमलाई ओसीएम की उक्त फैंसिंग देखने के उपरांत मुझे ससम्मान वापस लौटने के लिए कहा गया तो मैं वहां से वापस अपने गंतव्य की ओर लौट गया, और श्री एके दास जी एवं प्रबंधन के बांकी के अधिकारियों ने क्या जांच की, क्या चर्चाएं की इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं।

-मुख्य बिंदु-

• शिकायत के बाद खान सुरक्षा के कुछ बिंदुओं पर एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के कुछ खदानों में करीब 20 से 30 प्रतिशत काम हुए हैं जिससे मै संतुष्ट हुं लेकिन जो सुधार और कार्रवाई सोहागपुर क्षेत्र के जिन-जिन खदानों पर अभी नहीं हुए हैं उनसे मै पूरी तरह असंतुष्ट हुं, इसलिए शिकायत का निराकरण पूरा न समझा जाए जब तक इस एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के सभी खदानों मे पूरा 100 प्रतिशत सुधार नहीं किया जाता। और प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर गौवंश और हिरण की मौत के मामले कॉलरी प्रबंधन के ऊपर जुर्माना और दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती।

-संलग्न छायाचित्र

• निरीक्षण के दौरान लिए गए कुछ छाया चित्र जो कि जंगल की धंसान के साथ साथ कोल परिवहन से आम सड़कों में उड़ रहे धूल, प्रदूषण आदि को स्पष्ट दर्शाते हैं।

आपका विश्वासी
रवि त्रिपाठी

Subject

SECL सोहागपुर क्षेत्र के दामिनी भूमिगत कोयला खदान के अंदर बारूद परिवहन में इस तरह की लापरवाहियां की जाती हैं, चार्ज और बारूद एक साथ मोटरसाइकिल से लाया-लेजाया जाता है जिससे दुर्घटना के साथ-साथ पर्यावरण को भी खतरा है।

Photo Date- June 2022

BLOW

200

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

1. आवेदक का नाम ....रवि त्रिपाठी (रवि शंकर त्रिपाठी)

2. पूरा पता/ई-मेल आदि जिस पर ग्राम-गरफंदिया पोस्ट-बेम्होरी, जिला-शहडोल म.प्र.

जानकारी प्रेषित की जानी है

ई-मेल......... ravitripathi539@gmail.com

3. दूरभाष क्रमांक 9301036761

4. आवेदन देने का दिनांक...25/01/2023

5. कार्यालय का नाम थाना प्रभारी धनपुरी, जिला-शहडोल (म.प्र.)

6. चाही गई जानकारी का विवरण........"आरटीआई आवेदन में मांगी गई जानकारी संबंधित सभी प्रश्न आवेदन के साथ संलग्न पत्र में विस्तार से लिखे हैं।

{कृपया पेज पलटें}

7. क्या चाहते है (नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना)

8. आवेदन के साथ अदा किए जाने वाले फीस रु. 10.00 नगद / स्टॉम्प (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्रमांक 27F 276132 ....एवं दिनांक. 25/01/2023

9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा हां / नहीं /..........

यदि हां तो बीपीएल सूची का अनुक्रमांक..........

हस्ताक्षर
(आवेदन कर्ता) रवि त्रिपाठी

रवि त्रिपाठी 25-01-2023

नोट:- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र रु 10.00 का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प चस्पा कर के स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा संलग्न करें।

दस टका दश टाका દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ... दहा रुपये ... दस रूपए ...

अपराक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO थाना धनपुरी-जिला-शहडोल मध्यप्रदेश 484114 को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

रुपए 10.00 Rs.

कमीशन COMMISSION पैसे 50 PAISE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

रवि त्रिपाठी, ग्राम-गरफंदिया पो-बेम्होरी, जिला-शहडोल (म.प्र.) 484110

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT
POST-Office 'IGNTU' अमरकंटक
डाकघर में अदा करें।

25-1-23
पोस्ट मास्टर POSTMASTER
SUB POST MASTER
IGNTU AMARKANTAK
Distt.-Anuppur (M.P.) 484887

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

27F 276132

भुगतान क्रमांक-) 27 F 276132

महोदय

शहडोल म.प्र. के धनपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अमलाई ओसीएम कोयला खदान के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर या आसपास, सत्र 2019 से लेकर सितंबर 2022 तक कुल कितने गाय-बैल/भैंस-भैंसा की अन्य-अन्य कारणों से मृत्यु या हत्या हुई है?

महोदय उक्त अन्य-अन्य कारणों से मृत हुए सभी गाय-बैल/भैंस- भैंसा से संबंधित

- इस मामले में हुई एफआईआर की प्रमाणित छायाप्रति।

- मौका पंचनामा की प्रमाणित छायाप्रति,

मृत पशुओं के शवदाह/शवदफन पंचनामा की प्रमाणित छायाप्रति,

- फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट्स की प्रमाणित छायाप्रति,

- पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं।

महोदय उक्त आरटीआई आवेदन यदि आपके विभाग या कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) को संज्ञान में लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अंदर हस्तान्तरित करें, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।

आपका विश्वासी
रवि त्रिपाठी
मो.नं. 9301036761
ravitripathi539@gmail.com

25-01-2023

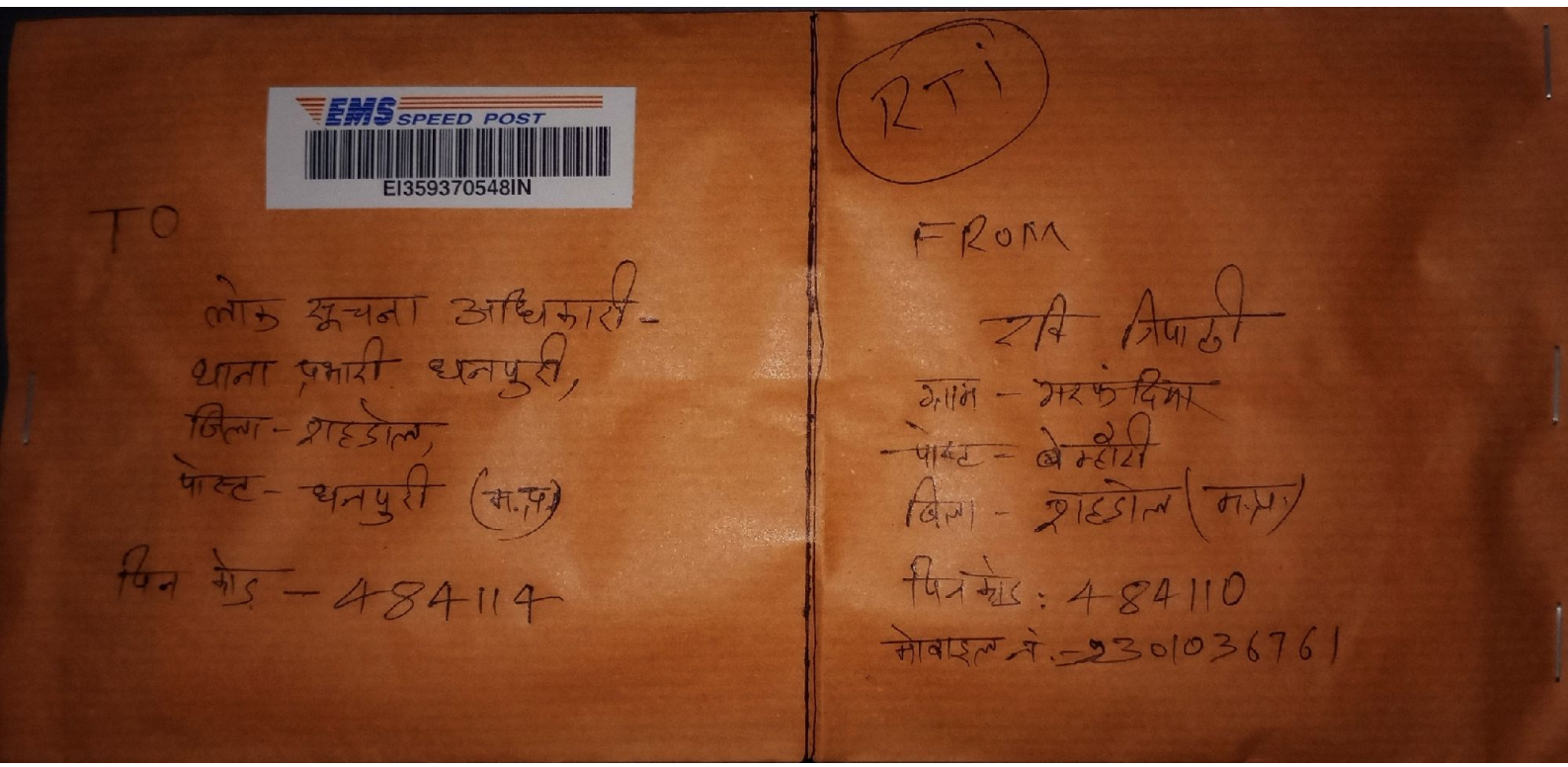
EMS SPEED POST
EI359370548IN
TO
लोक सूचना अधिकारी-
थाना प्रभारी धनपुरी,
जिला-शहडोल,
पोस्ट-धनपुरी (म.प्र.)
पिन कोड-484114
RTI
FROM
रवि त्रिपाठी
ग्राम-मरकंदिया
पोस्ट-बेम्हौरी
जिला-शहडोल (म.प्र.)
पिन कोड: 484110
मोबाइल नं.-7301036761

माननीय
अधिकरण पीडीएफ फाइल क्रमांक 9 में 20-04-2022 को एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के अमलाई ओसीएम के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र मे वाहन दुर्घटना से मृत पाए गए हिरण का है जिसकी दुर्घटना का कारण अज्ञात वाहन से बता कर मामले को रफा-दफा कर दिया गया
जबकि प्रश्न यह है कि खदान के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर अज्ञात वाहन कैसे घुस सकता है? वहां जितने भी वाहन कार्यरत रहते हैं सभी सीसीटीवी और दस्तावेजों की निगरानी में ही रहते हैं।
माननीय अधिकरण से आग्रह है कि इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए।
इस संबंध में हिरण के अंतिम संस्कार की जीपीएस लोकेटेड एक फोटो भी प्राप्त है जो कि इस फ़ाइल के साथ संलग्न है।

PHOTO-
बीते 08-01-2023 को एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के बंगवार भूमिगत कोयला खदान के समीपस्थ बंगवार से धनपुरी मार्ग में रात 9 बजे के करीब एक चीतल की वाहन दुर्घटना से घायल होने पर मृत्यु।

माननीय अधिकरण

SECL सोहागपुर क्षेत्र के खदानों के आसपास मुख्य मार्गों मे एवं जंगलों में हिरण, मोर, बंदर, बारहसिंगा आदि जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों के होने के पुख्ता साक्ष्य हैं, जो कि आए दिन सड़कों में वाहन दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं,
यदि खदानों से सटे मुख्य सड़कों में वन्य प्राणी संरक्षण संबंधी बोर्ड आदि लगा कर समय-समय पर मॉनीटरिंग की जाए तो वन्य प्राणियों की मौत के मामले को रोका जा सकता है।

Latitude: 23.150738
Longitude: 81.553449
Altitude: 420.0±15 m
Accuracy: 12.0 m
Time: 20-04-2022 10:53
अमलाई ओसीएम में मृत हिरण
का अंतिम संस्कार
Powered by NoteCam

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र बुढ़ार

वन मण्डल दक्षिण शहडोल (म0प्र0)

फोन नं. 9424794442 ई–मेल RotBurhar@mp.gov.in

क्रमांक..... 1049 बुढ़ार / दिनांक 26 / 08 / 2022

प्रति,

श्री रबि त्रिपाठी

ग्राम गरफंदिया,पोस्ट, बेम्हौरी, तहसील बुढार, जिला शहडोल

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन श्री रबि त्रिपाठी शहडोल म.प्र.

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. / लो.सु. / 2022 / 4135 दिनांक 08.06.2022

––000––

विषयाकिंत संदर्भ में आपको लेख कर सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत परिक्षेत्र बुढार के मृत वन्यप्राणियों की जानकारी चाही गई है। अतः आप 108 पृष्ठों का 2.00 प्रति कापी से 216.00 रूपये का बैंक चालान 0406–01–800-अन्य प्राप्ती हेड में जमा कर चालान प्रति परिक्षेत्र कार्यालय में उपलब्ध करावें तथा परिक्षेत्र कार्यालय में उपलब्ध 0229 अभिलेखों की छायाप्रति इस कार्यालय से प्राप्त करें।

(प्रमांशु धुर्वे)
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बुढ़ार

क्रमांक ..... बुढार / दिनांक...../ 08 / 2022

प्रतिलिपि :– लोक सूचना अधिकारी एवं उप वन मण्डलाधिकारी दक्षिण वन मण्डल शहडोल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

(प्रमांशु धुर्वे)
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बुढ़ार

क्रमांक -1215

(4) मौका पंचनामा (5)

स्थान – RF 835 बीट बेम्हौरी
दिनांक व समय – 20/04/022
8.40 AM

हम नीचे लिखे पंचगण यह तस्दीक करते हैं कि (खोह में हाथी ट्रैकिंग में ड्यूटी के दौरान) दूरभाष से मिली सूचना के आधार पर बीट बेम्हौरी के कक्ष क्र० RF 835 अमलाई OCM क्षेत्र में दिनांक – 20/04/2022 को समय प्रातः 8.40 बजे पहुंचे। जहां पर SECL मार्ग पर एक नर चीतल उम्र लगभग 8 वर्ष किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना ग्रस्त होकर मृत अवस्था में पड़ा था। मौके में बीटगार्ड बेम्हौरी द्वारा अपने सुपुर्द में लेकर समस्त कार्यवाही किया गया। तथा उपस्थित सभी पंचगणों द्वारा पढ़कर सुनकर सही पाकर अपना-अपना हस्ता० किये जो सही एवं सत्य है।

पंचनामा मेरे द्वारा तैयार किया गया।

हस्ता० पंचगण

Fg Bemhouri
20/4/22

R.O. Burhar

(1) मधू बैगा पिता पुसउवा बैगा ग्रा० डोंगरायेक

राजेश तिवारी

(2) राजेश तिवारी पिता रामशरण तिवारी सा० भड़ुला

Veterinary Assistant Surgeon
Veterinary Hospital Khairha
Distt - Shahdol (M.P.)
Red. No. MPSVC/3052/2013

20/4/22

प०स०० पटना

Range Officer
BURHAR

शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) पंचनामा (5) स्थान – RF 835 बीट बेम्हौरी
दिनांक व समय – 20/04/22 10 Am

हम नीचे लिखे पंचगण यह तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक – 20/04/2022 को समय - 10 Am मे मृत नर चीतल उम्र 8 वर्ष का बीट बेम्हौरी के RF 835 मे पशु चिकित्सक खैरहा डॉ श्री विनीत केशरी द्वारा शव का परीक्षण किया गया। शव का परीक्षण बीटगार्ड बेम्हौरी प० स० पटना एवं वन परिक्षेत्राधिकारी महो० बुढार की उपस्थिति मे कराया गया। शव परीक्षण पश्चात शव परीक्षण पंचनामा तैयार किया गया। सभी उपस्थित कर्मचारियों ने अपना-अपना हस्ता० किये जो सही एवं सत्य है।

हस्ता० पंचगण

शव परी० पंचनामा मेरे समक्ष तैयार किया गया।

(1) मद्धू पिता पुसउआ बैगा ग्रा० डोंगरटोला

राजेश तिवारी

(2) राजेश तिवारी पिता रामशरण तिवारी ग्रा० अखिला

Fg Bemhou 20/4/22

R.O. Burhar

20/4/22 प०स० पटना

Range Officer BURHAR

Veterinary Assistant Surgeon Veterinary Hospital Khairha Distt - Shahdol (M.P.) Red. No. MPSVC/3052/2013

शव दाह संस्कार पंचनामा . स्थान – RF 835
दिनांक – 20/04/22
(18) समय – दोपहर 12 बजे

हम नीचे लिखे पंचगण यह तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 20/04/2022 को समय दोपहर 12 बजे श्रीमान उपवनमण्डलाधिकारी महो० जैतपुर एवं परिक्षेत्राधिकारी महो० बुढार की उपस्थिति में बीट बेम्हौरी के RF 835 में मृत नर चीतल उम्र 8 वर्ष के शव का दाह संस्कार किया गया। शव पूरी तरह से जलने के पश्चात राख होने के बाद शव दाह संस्कार पंचनामा तैयार किया गया। जिसमें उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपना-अपना हस्ताक्षर किये जो सही एवं सत्य है।

पंचनामा मेरे द्वारा तैयार किया गया।

हस्ता० पंचगण

fg Bemhori
20/4/22

R.O. Burhar

(1) मन्दू पिता प्रसाद बैगा ग्रा० डोंगरा टोला

20/4/22
व०र० परना

राजेश तिवारी

(2) राजेश तिवारी पिता रामचरण तिवारी नि० केहुला

Range Officer
BURHAR

Veterinary Assistant Surgeon
Veterinary Hospital Khaira
Distt - Shahdol (M.P.)
Red. No. MPSVC/3552/2013

20/4/22
SDO Jaitpur

शहडोल मप्र. के क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय के कार्यक्षेत्र अंतर्गत कोयला खदानों द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु तंत्र को क्या नुकसान पहुंचाया गया इसकी विस्तृत जानकारी और साक्ष्य आवेदक द्वारा संलग्न किए गये साथ हि उक्त क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत के ही अमलाई स्थित ओरियंट पेपर मील की लापरवाही/अनियम पूर्वक कार्यशैली से आसपास के रिहायशी इलाकों में वायु प्रदूषण भयावह स्थिति में है जिसके संबंध मे, संबंधित पार्षद ने अनूपपुर कलेक्टर को बीते दिनों लिखित और फोटो/वीडियो साक्ष्य सहित शिकायत भी की थी जिसकी प्रतियां संलग्न कर के आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

माननीय बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि इस तरह की लापरवाहियों के बाद क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री संजीव मेहरा जी की शिकायत की जाती है तो वें कहते हैं कि शिकायत झूठी और द्वेष पूर्ण है।

नगर परिषद बरगवां (अमलाई)

जिलाः- अनूपपुर (म.प्र.)

211

सौरभ दास कोरी

पार्षद

वार्ड क्रमांक- 02

सभापति- लोक निर्माण, जल कार्य विभाग

आवास एवं पर्यावरण

-: निवास :-

वार्ड क्र. 02 लेबर कॉलोनी, बरगवां

जिला: अनूपपुर (म.प्र.) 484117

मोबा. नं. 9340059038

E-mail: bkori816@gmail.com

क्रमांक 08/23 दिनांक 07/03/23

प्रति

कलेक्टर महोदय

जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश

विषय। कारखाने से उड़ने वाले डस्ट एवं प्रदूषित जल से फैल रहे प्रदूषण बाबत।

महोदय

ज्ञात हो कि नवागत नगर परिषद बरगावां (अमलाई) के वार्ड क्रमांक एक और दो में ओरियंट पेपर मिल एवं सोडा फैक्ट्री से चूने और राखड के प्रदूषण से नगर वासियों का जीना मुश्किल हो गया है जिसकी जानकारी मौखिक रूप से ओरिएंट पेपर मिल प्रबंधक को भी दी जा चुकी है इसके उपरांत ही पेपर मिल से निकलने वाला प्रदूषित जल एकत्र जिस जगह पर होता है उस जगह पर भी भारी दुर्गंध बनी रहती है जिससे पशु पक्षी कि पानी पीने से भी दुर्घटना होती है लेकिन इस पर अब तक ओरियंट पेपर मिल सहित सोडा कांस्टीट्यूएंट के प्रबंधन के द्वारा कोई रखरखाव नहीं किया जा रहा है ना ही सुधार किया जा रहा है जिससे प्रतिदिन वार्ड वासियों को सांस लेने में समस्या होती है और किसी भी वक्त चुने और राखड के डस्ट का उड़ना शुरू हो जाता है जिससे नगर वासियों को तरह-तरह की बीमारियां भी हो रही है लेकिन प्रबंधन अब तक किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं कर रही है बीते दिन 5 मार्च को दोपहर 1:00 बजे सोडा फैक्ट्री गांधी नगर लेबर कॉलोनी के ऊपर ओरिएंट पेपर मिल के द्वारा अजीब तरीके का सफेद पाउडर केमिकल हवा के द्वारा इन जगहों पर उड़ता दिखा जिसके कारण सांस लेने में भी तकलीफ एवं नाक गले में जलन व कई प्रकार की बीमारियों का न्योता देने के सामान्य हैं ओरियंट पेपर मिल के द्वारा वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है इन जगहों पर रहने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना भी करना पड़ता है जिस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी प्रकार का कोई संज्ञान लेकर कार्यवाही नहीं करती जिससे इनका मनोबल बढ़ता ही जा रहा है

अतः जिला दंडाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही कर वार्ड वासियों को प्रदूषण से बचाने की कृपा करें।

Saurabh Das Kori

सौरभ दास कोरी
पार्षद (वार्ड क्र.2)
नगर परिषद बरगवां (अमलाई)
जिला - अनूपपुर (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

सोडा फैक्ट्री वातावरण में घोल रही जहर, सांस लेना मुश्किल

» पार्षद ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग

भास्कर न्यूज|अनूपपुर

नगर परिषद बरगवां (अमलाई) के वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद सौरभ दास कोरी ने मंगलवार को सोडा फैक्ट्री के विरुद्ध कलेक्टर अनूपपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्ड क्रमांक 1 और 2 में ओरिएंट पेपर मिल एवं सोडा फैक्ट्री से चूने और राखड़ के प्रदूषण से नगरवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। पेपर मिल से निकलने वाला प्रदूषित जल जिस जगह पर एकत्र होता है, उस जगह पर दुर्गंध बनी रहती है, जिससे पशु-पक्षी को पानी पीने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पेपर मिल सहित सोडा फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा रखरखाव नहीं किया जा रहा है ना ही सुधार किया जा रहा है। प्रतिदिन वार्डवासियों को सांस लेने में समस्या होती है। किसी भी वक्त चूने और राखड़ के डस्ट का उड़ना शुरू हो जाता है, जिससे नगरवासियों को तरह-तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। बीते 5 मार्च को दोपहर 1 बजे सोड़ा फैक्ट्री गांधीनगर लेबर कॉलोनी के ऊपर ओरिएंट पेपर मिल द्वारा अजीब तरीके का सफेद पाउडर केमिकल हवा के द्वारा उड़ता दिखा। जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ एवं नाक-गले में जलन होने लगी थी। ओरियंट पेपर मिल व सोडा फैक्ट्री द्वारा वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी प्रकार का कोई संज्ञान लेकर कार्यवाही नहीं करती। पार्षद ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

d2h
REDMI NOTE 8 PRO
BY SAURABH KORI